breakthrough

unicef
unite for children

मॉड्यूल 9

किशोरियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल

बाल विवाह, यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का समाधान करना

किशोरवय सशक्तिकरण टूलकिट

© यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेंस फंड (यूनिसेफ)
© ब्रेकथ्रू

इस प्रकाशन को शिक्षा या लाभ रहित उद्देश्य हेतु पुनः उत्पादन कॉपीराइट धारक के अनुमति के बिना किया जा सकता है यदि इसके स्रोत को मान दें।

इंगित संसकरण:
“किशोरवय सशक्तिकरण टूलकिट” 2016, नई दिल्ली : यूनिसेफ एवं ब्रेकथ्रू
यूनिसेफ एवं ब्रेकथ्रू को ऐसे प्रतिलिपि को पाकर खुशी होगी जो इस प्रकाशन को स्रोत के तौर पर इस्तेमाल कर रहें हों।

यदि इस प्रकाशन को किसी भी व्यावसायिक प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है तो लिखित में अनुमति की जरूरत पड़ेगी।

अनुमति एवं अन्य सवालों के लिए संपर्क करें:
newdelhi@unicef.org

सामनेवाले कवर का फोटो
© Breakthrough/India

मॉड्यूल 9

किशोरियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल

किशोरियों के बाल-विवाह, यौन उत्पीड़न एवं हिंसा के समाधान के संबंध में किशोरियों को जागरूक और प्रशिक्षित करने के लिए सामुदायिक कार्यकर्ताओं और प्रशिक्षकों की स्त्रोत पुस्तक

विषय सूची

युनिसेफ के बारे में पृष्ठ 5

ब्रेकथ्रू के बारे में पृष्ठ 6

किशोरियों के साथ काम करके बाल-विवाह और लिंग आधारित हिंसा समाप्त करना पृष्ठ 8

किशोरियों के लिए यह प्रशिक्षण मॉड्यूल क्यों तैयार किया गया है? पृष्ठ 8

किशोरियों के इस प्रशिक्षण मॉड्यूल को तैयार करने में किन कारकों पर विचार किया गया? पृष्ठ 9

किशोरियों के प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए मुख्य आवश्यकताएं क्या हैं? पृष्ठ 9

किशोरियों के प्रशिक्षण मॉड्यूल की अवधि और प्रशिक्षण देने की पद्धति क्या है? पृष्ठ 10

किशोरियों के इस प्रशिक्षण मॉड्यूल के अंतर्गत सत्र कैसे चलाए जाएंगे? पृष्ठ 10

किशोरियों की क्षमता संवर्धन मॉड्यूल के अंतर्गत सत्र की व्यवस्था पृष्ठ 12

मॉड्यूल I: सामाजिक लिंग एवं सामाजिक लिंग भेद को समझना पृष्ठ 13

सत्र 1 - सामाजिक लैंगिक रूढ़िबद्धता पृष्ठ 14

सत्र 2 - सामाजिक मानकों को समझना : किशोरियों और किशोरों का जीवन चक्र पृष्ठ 16

सत्र 3 - हिंसा एवं अधिकार पृष्ठ 19

सत्र 4 - हमारे जीवन में सामाजिक लिंग और लिंग के प्रभाव को समझना पृष्ठ 21

सत्र 5 - संबंधों में सत्ता एवं सामाजिक लिंग के बीच की कड़ी पृष्ठ 23

सत्र 6 - किशोरियों के अधिकार पृष्ठ 25

मॉड्यूल II: यौन उत्पीड़न का सामना करना पृष्ठ 29

सत्र 7 - यौन हिंसा से खुद को बचाना पृष्ठ 30

सत्र 8 - सुरक्षित स्थान और असुरक्षित स्थान पृष्ठ 35

मॉड्यूल III: शादी का अर्थ समझना पृष्ठ 37

सत्र 9 - शादीशुदा महिला के अधिकार एवं उसकी जिम्मेदारियाँ पृष्ठ 38

सत्र 10 - बाल-विवाह : मानवाधिकारों का हनन पृष्ठ 41

सत्र 11 - बाल-विवाह में घरेलू हिंसा का सामना करना पृष्ठ 44

मॉड्यूल IV: लड़कियों को अहमियत देना पृष्ठ 47

सत्र 12 - समाज के सदस्य के तौर पर महिलाओं का योगदान पृष्ठ 48

सत्र 13 - महिलाओं की घटती संख्या और बाल-विवाह पर उसका प्रभाव पृष्ठ 50

मॉड्यूल V: निर्णय लेने और बातचीत की योग्यता का विकास पृष्ठ 52

सत्र 14 - सही विकल्प चुनना और उसे कायम रखना पृष्ठ 53

सत्र 15 - अधिकारों की बातचीत करने में समूहों एवं संगठनों की शक्ति पृष्ठ 56

संलग्नक पृष्ठ 58

संलग्नक 1 - मानव अधिकार क्या है? पृष्ठ 59

संलग्नक 2 - युवा लड़कियों और बच्चों का यौन शोषण (अभिभावकों और समुदाय के नेताओं के लिए) पृष्ठ 60

संलग्नक 3 - युवा लड़कियों और बच्चों का यौन शोषण - रूना की कहानी पृष्ठ 61

संलग्नक 4 - बाल-विवाह में मानव अधिकारों का उल्लंघन पृष्ठ 62

संलग्नक 5 - बाल विवाह में घरेलू हिंसा से निपटना पृष्ठ 64

संलग्नक 6 - समाज में महिलाओं का योगदान पृष्ठ 66

संलग्नक 7 - महिलाओं की घटती संख्या और बाल विवाह पर इसका प्रभाव पृष्ठ 68

संलग्नक 8 - सहभागियों द्वारा शपथ-ग्रहण पृष्ठ 69

टिप्पणी पृष्ठ 70

टिप्पणी पृष्ठ 71

यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेंस फंड (यूनिसेफ)

190 देशों और क्षेत्रों में बच्चों को बचपन से लेकर किशोरावस्था तक उनके जीवन का बचाव और उसके पनपने के लिए कार्य करती है। विकासशील देशों को दुनिया के सबसे बड़े टीका प्रदाता के रूप में कार्य करते हुए यूनिसेफ बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण, अच्छा जल एवं सौच सुविधा, सभी बच्चों के लिए गुणवत्ता पूर्ण बुनियादि शिक्षा तथा हिंसा, शोषण और एड्स से रक्षा करती है। यूनिसेफ पूर्णतया व्यक्तियों, व्यापार संस्थानों और सरकारों द्वारा स्वेच्छा से दिये गए वित्तिय योगदान से पोषित है।

www.unicef.in

/unicefindia
@UNICEFIndia

United Nations Children's Fund, 73 Lodi Estate, New Delhi 110 003, India
☎ 91-11-24690401 🖷 91-11-24627521

✉ newdelhi@unicef.org

ब्रेकथ्रू एक मानवाधिकार संस्था है

जो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाली हिंसा और भेदभाव को समाप्त करने के लिए काम करती है। कला, मीडिया, लोकप्रिय संस्कृति और सामुदायिक भागीदारी से हम लोगों को एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिसमें हर कोई सम्मान, समानता और न्याय के साथ रह सके।

हम मल्टीमीडिया अभियानों के माध्यम से इन मुद्दों को मुख्य धारा में ला रहे हैं। इसे देश भर के समुदाय और व्यक्तियों के लिए प्रासंगिक बना रहे हैं। इसके साथ ही हम युवाओं, सरकारी अधिकारियों और सामुदायिक समूहों को प्रशिक्षण भी देते हैं, जिससे एक नई ब्रेकथ्रू जनरेशन सामने आए जो अपने आस-पास की दुनिया में बदलाव ला सके।

www.inbreakthrough.tv

/BreakthroughIN
@INBreakthrough

E-1A, First Floor, Kailash Colony, New Delhi 110 048, India
☎ 91-11-41666101 🖷 91-11-41666107

✉ contact@breakthrough.tv

© UNICEF/India /Mani

किशोरियों के साथ काम करके बाल-विवाह और लिंग आधारित हिंसा समाप्त करना

किशोरियों के लिए क्षमता संवर्धन मॉड्यूल का प्रयोग करना

किशोरियों के लिए यह प्रशिक्षण मॉड्यूल क्यों तैयार किया गया है?

किशोरियों को अपने शुरूआती जीवन में अनेक सामाजिक चुनौतियों जैसे; सामाजिक लिंग भेद, बाल विवाह, किशोर गर्भावस्था, यौन शोषण और घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। उनसे बेटियों, कम उम्र की शादीशुदा महिलाओं के रूप में और अक्सर कम उम्र की माँ के रूप में कुछ 'कायदों' और आचरण का पालन करने की उम्मीदें की जाती है। यह प्रशिक्षण मॉड्यूल 13 से 18 वर्ष की उम्र की ऐसी किशोरियों जिनका जीवन जोखिमपूर्ण होता है, की क्षमता निम्नलिखित तीन तरीके से बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है:

- सबसे पहले, जिन भयावह समस्याओं जैसे; शिक्षा से संबंधित सुविधाओं, रोजी-रोटी के अवसरों आदि सहित बुनियादी अधिकारों की कमी और बाल विवाह, कच्ची उम्र में गर्भधारण और घरेलू हिंसा में धकेले जाने को वे झेल रही हैं, उन समस्याओं को समझने और स्वीकार करने में उनकी सहायता करके।
- दूसरा, शिक्षा एवं रोजी-रोटी, जीवन साथी चुनने, दहेज रोकने, बहु के रूप में उम्मीदों को पूरा करने, घरेलू हिंसा का विरोध करने और बच्चे पैदा करने के दबाव को रोकने में उनके निर्णय लेने और मोल भाव करने की क्षमता को बेहतर करने का प्रयास करके।
- तीसरा, उन्हें महत्व, इज्जत देकर एवं चर्चा, भेदभाव के बिना सभा करके उनके भीतर विश्वास पैदा करके। किशोरियों की क्षमता बेहतर होने से वे एक दूसरे की सहायता करने के काबिल होंगी जिससे उनके लिए सुरक्षित और सहायक माहौल तैयार हो सकता है।

यह प्रशिक्षण मॉड्यूल विशाल नाबालिग सशक्तिकरण टूलबॉक्स जिसमें जीवन कौशल के लिए ट्रेनिंग, नाबालिग लड़कों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल, एनजीओ पार्टनरों/अगली पंक्ति के कार्यकताओं के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल और हितधारकों जैसे धार्मिक नेताओं, पंचायत सदस्यों, सीएमपीओ और पुलिस एवं माता-पिता के लिए जोखिम शमन मॉड्यूल्स शामिल हैं, का एक हिस्सा है।

© UNICEF/India/Crouch

किशोरियों के इस प्रशिक्षण मॉड्यूल को तैयार करने में किन कारकों पर विचार किया गया?

किशोरियों की समस्याओं और उनकी क्षमता संवर्धन की आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए ब्रेकथ्रू और यूनिसेफ द्वारा की गई रचनात्मक अनुसंधान अध्ययनों से सक्रिय रूप से सहायता ली गई। इन रिपोर्टों का संकलन यूनिसेफ और ब्रेकथ्रू के इस विषय से संबंधित विशेषज्ञों से गहन विचार-विमर्श करके किया गया।

माड्यूलों को तैयार करते समय किशोरियों से संबंधित निम्नलिखित मूल समस्याओं और क्षमता संवर्धन की आवश्यकताओं पर गहन रूप से विचार किया गया:

- ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में 13 से 18 साल के बीच की उम्र की किशोरियों की कम उम्र में शादी होने का सबसे अधिक खतरा होता है और उन्हेंक मानसिक एवं यौन प्रताड़ना, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं और खराब आर्थिक स्थिति के साथ-साथ घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है।
- वे सीमित शैक्षणिक सुविधाओं और रोजी-रोटी के अवसरों वाले क्षेत्रों में रहती हैं।
- उनमें शिक्षा एवं रोजी-रोटी चुनने, जीवन साथी चुनने, बच्चा पैदा करने, घरेलू खर्चे का बन्दोबस्त करने आदि के लिए निर्णय लेने की योग्यता और क्षमता सीमित होती है।
- वे बाल-विवाह, दहेजप्रथा और सामाजिक लिंग भेद की सदियों पुरानी रीति-रिवाजों के गुलाम हैं।
- महिलाओं द्वारा उनसे बेटी/बधु/पत्नी/मां के रूप में पुरानी सामाजिक मान्यताओं के अनुसार चलने की उम्मीद की जाती है।
- उनमें अपनी अहमियत, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बहुत कम होता है।
- उनमें अधिकतर बातचीत करने का गुण बहुत कम पाया जाता है।

किशोरियों के प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए मुख्य आवश्यकताएं क्या हैं?

किशोरियों की क्षमता संवर्धन की आवश्यकता रचनात्मक अनुसंधान के परिणामों और क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन के माध्यम से प्रायोगिक शिक्षा से उत्पन्न हुई है। किशोरियों के संबंध में सामाजिक लिंग आधारित भेदभाव और अत्याचार का मुकाबला करने में क्षमता संवर्धन की मुख्य आवश्यकता निम्नानुसार उत्पन्न हुई है:

- सामाजिक लिंग तथा सामाजिक लिंग भेद एवं हिंसा को समझना
- यौन शोषण रोकना
- शादी का अर्थ समझना
- लड़की को महत्व देना
- निर्णय लेने और बातचीत करने के गुणों का विकास करना

क्षमता संवर्धन की आवश्यकताओं को निम्नलिखित कार्य-क्षेत्रों और क्रमों में बाँटा गया है:

सत्र	क्षमता संवर्धन की आवश्यकताओं के आधार पर ट्रेनिंग के विषय	समयावधि
मॉड्यूल 1	सामाजिक लिंग एवं सामाजिक लिंग भेद का विश्लेषण	4 घंटे
सत्र 1	सामाजिक लैंगिक रीति-रिवाज	20 मिनट
सत्र 2	सामाजिक मानकों को समझना : किशोरियों और किशोरों का जीवन चक्र	30 मिनट
सत्र 3	हिंसा एवं अधिकार	90 मिनट
सत्र 4	हमारे जीवन पर सामाजिक लिंग और यौन संबंधों के प्रभाव की पहचान करना	30 मिनट
सत्र 5	संबंधों में सत्ता एवं सामाजिक लिंग के बीच की कड़ी	45 मिनट
सत्र 6	किशोरियों के अधिकार	45 मिनट
मॉड्यूल 2	यौन उत्पीड़न का सामना करना	1.75 घंटे
सत्र 7	यौन हिंसा से खुद को बचाना	60 मिनट
सत्र 8	सुरक्षित और असुरक्षित स्थान	45 मिनट
मॉड्यूल 3	शादी का अर्थ समझना	3 घंटे
सत्र 9	शादीशुदा महिला के अधिकार एवं जिम्मेदारियाँ	45 मिनट
सत्र 10	बाल-विवाह – मानवाधिकारों का हनन	90 मिनट
सत्र 11	बाल विवाह में घरेलू हिंसा पर काबू पाना	45 मिनट
मॉड्यूल 4	लड़कियों को अहमियत देना	2 घंटे
सत्र 12	समाज के सदस्य के तौर पर महिलाओं का योगदान	60
सत्र 13	महिलाओं की घटती संख्या और बाल-विवाह पर उसका प्रभाव	60
मॉड्यूल 5	निर्णय लेने और बातचीत की योग्यता का विकास	1.25 घंटे
सत्र 14	सही विकल्प चुनना और उसे कायम रखना	45
सत्र 15	अधिकारों की बातचीत करने में समूहों एवं संगठनों की सत्ता	30
	कुल समयावधि	12 घंटा

उपर्युक्त मॉड्यूलों में किशोरियों का जीवन रेखांकित करने और कुछ चुनौतियों जो भविष्य में उनके सामने आने वाली हैं, का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा, इसमें किशोरियों के आत्मविश्वास और सामूहिक प्रयासों से उन चुनौतियों का सामना करने के तरीकों की तलास की गई है।

किशोरियों के प्रशिक्षण मॉड्यूल की अवधि और प्रशिक्षण देने की पद्धति क्या है?

क्षमता संवर्धन मॉड्यूल को पूरे 15 सत्रों के कुल 12 घंटे की अवधि के लिए तैयार किया गया है। प्रशिक्षण अनौपचारिक कक्षा की व्यवस्था् करके सामान्यत: 20-25 लड़कियों के छोटे-छोटे विद्यार्थी ग्रुप में अनुदेशक द्वारा दिया जाएगा। सत्र की रूपरेखा तैयार करने में पार्टिसिपेटरी ट्रेनिंग विधि का प्रयोग किया गया है। इसमें मामले के अध्ययनों का प्रयोग करना, सामूहिक चर्चा एवं विचार-विमर्श, सामूहिक व्याख्यान और रोल प्ले आदि शामिल है।

इन सत्रों के अनुदेशकों को उन स्थानीय एनजीओ पार्टनरों से आए हुए प्रशिक्षक ग्रुप के रूप में माना गया है जो क्षेत्रीय नाबालिग बच्चों की समस्याओं से परिचित हैं और बाल विवाह एवं सामाजिक लिंग भेद के खिलाफ आवाज उठाने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।

किशोरियों के इस प्रशिक्षण मॉड्यूल के अंतर्गत सत्र कैसे चलाए जाएंगे?

इस प्रशिक्षण मॉड्यूल के तहत सत्र चलाने के लिए निम्नलिखित आसान कार्य किए जा सकते हैं:

- सत्र कार्यक्रमों को देखना और चलाए जाने वाला सत्र चुनना।
- सत्र से संबंधित कार्यक्रम को सावधानीपूर्वक पढ़ना और सत्र चलाने के लिए जरूरी सामानों और तैयारियों का सावधानीपूर्वक एक नोट बनाना। इसमें विशिष्ट रूप से सीखने वाले व्यक्तियों के हैण्ड आउट्स (जिसे संलग्नक में दिया गया है) की फोटोकॉपी बनाना, अनुदेशक के नोट को समझना या स्थानीय सूचनाओं से उसे अपडेट करना और ग्रुप गतिविधि के लिए अन्य सामग्री एकत्र करना।

- उसके बाद, उद्देश्य, विधि/चरण, चर्चा के मुख्य बिन्दु और अनुदेशक नोट को पढना और यह सुनिश्चित करना कि उन्हें भॅलिभॉति समझ लिया गया है। याद रखें, यह मॉड्यूल मात्र एक दिशा-निर्देश है और समय की उपलब्धता, लर्नर्स के प्रोफाइल और प्रशिक्षण विषय में बदलाव के अनुसार उसमें संशोधन किया जा सकता है।
- यह अनिवार्य रूप से सुझाव दिया जाता है कि एक छोटा-सा नोट जिसमें प्रशिक्षण के चरण दिए गए होते हैं, तैयार किया जाए जिससे सत्र आयोजित करते समय चर्चा के मुख्यर बिन्दु/संकेत प्राप्त हो।
- किशोर लड़कियों के समूहों का सत्र लर्नर्स हैण्डआउट्स, समूह गतिविधि के लिए सामग्री और छोटा-सा प्रशिक्षण नोट ले जाए।

© Breakthrough/India

किशोरियों की क्षमता संवर्धन मॉड्यूल के अंतर्गत सत्र की व्यवस्था

© Breakthrough/India

मॉड्यूल I : सामाजिक लिंग एवं सामाजिक लिंग भेद को समझना

सत्र

1

20 मिनट

सामाजिक लैंगिक रूढ़िबद्धता

आवश्यक सामग्री

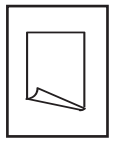

फ्लिप चार्ट

मार्कर पेन

विशेषताएं:

- क्षमता संवर्धन कार्यक्रम में किशोरियों का स्वागत और परिचय करना
- उन भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों का विकास करना जिसकी समाज सामान्यत: लड़कों से आदमी के रूप में और लड़कियों से महिलाओं के रूप में अपेक्षा करता है।
- सहभागियों को यह पहचानने में मदद करना कि सामाजिक लैंगिक 'रीति-रिवाज' और अपेक्षाएं किस प्रकार सामाजिक लिंग संबंधी रूढिवाद बन जाती हैं।
- मॉड्यूल के अंतर्गत निम्नलिखित सत्रों के लिए विषय निर्धारित करना।

सशक्तिकरण के बिंदु : मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक/अंतर्वैयक्तिक, समाजिक सांस्कृतिक

1 क्रियाविधि :

- सहभागियों का स्वागत करना और अपना परिचय देना।
- उन्हें कोई क्रम रहित संख्या जैसे 2, 14, 20, 500 आदि जोर से बोलने और उसके अनुसार बढ़ते क्रम में बैठने के लिए कहिये। उन लड़कियों जिन्होंने सबसे पहले छोटी संख्या बोला, उनसे शुरू करें और जिन्होंने बड़ी संख्या बोला उन्हें अंत में बैठाइए।
- अब, जोड़ी बनाएं और उन्हें निम्नलिखित जानकारियों के आधार पर एक-दूसरे से परिचित होने के लिए कहें:
  - अपना नाम, शिक्षा, निवास स्थान
  - वे दो खूबियाँ कौन सी हैं जिसे आप अपने परिवार के लड़कों, पुरूषों में पसंद करती हैं?

» वे दो खूबियाँ कौन सी हैं जिसे आप अपने परिवार की लड़कियों, महिलाओं में पसंद करती हैं?

- उन्हें एक दूसरे से बातचीत करने के लिए 3-4 मिनट का समय दें
- सहभागियों को एक-एक करके आगे आने के लिए कहें और अपने साथी का परिचय देने के लिए कहें।
- निम्नलिखित फॉर्मेट में चार्ट पेपर पर खूबियों को लिखते जाएं:

लड़कों और पुरुषों में पसंदीदा खूबियाँ (उदाहरण)	लड़कियों और महिलाओं में पसंदीदा खूबियाँ (उदाहरण)
परिश्रमी	ध्यान रखने वाली
बहादुर आदि	खाना अच्छी तरह पकाती है आदि

- परिचय के लिए सभी सहभागियों को धन्यवाद दें और निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श करें:

2 चर्चा के प्रश्न :

- क्या् आपको यहां कोई पैटर्न दिखाई देता है?
- आप क्यों महसूस करती हैं कि हम सेचते हैं कि लड़कों और लड़कियों में ये विशिष्ट गुण होने चाहिए?
- क्या् आप समझते है कि उपर्युक्त सभी गुण हममें हो सकते हैं?

3 अनुदेशक के लिए नोट :

समाज हमसे महिला अथवा पुरुष के रूप में एक निर्धारित तरीके से व्यवहार करने की अपेक्षा करता है। हम विपरीत सामाजिक लिंग अथवा अपने लिंग के लोगों के साथ बातचीत करते समय अपने लिए सीमा निर्धारित कर देते हैं। हमारा पालन-पोषण और समाजीकरण हमे सामाजिक "मानदंडों" के अनुरूप रहना सिखाता है जो आगे चलकर सामाजिक लैंगिक रूढ़ियों में बदल जाता है और उससे अनेक समस्याएं बढ़ती हैं जिसका किशोरियों को उनके जीवन में झेलना पड़ता है। इस प्रशिक्षण मॉड्यूल में कुछ संबद्ध समस्याओं जैसे बाल-विवाह, घरेलू हिंसा और लैंगिक उत्पीड़न, का समाधान करने का प्रयास किया गया है।

फिर भी, मनुष्य के रूप में, हमें सचेत रहना होगा कि हम सभी गुणों को प्राप्त करने और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें प्रदर्शित करने में सक्षम हैं।

सत्र

2

30 मिनट

सामाजिक मानकों को समझना : किशोरियों और किशोरों का जीवन चक्र

उद्देश्य :

- सहभागी लड़कियों को जीवन में उनके द्वारा सामना किये गए सामाजिक लिंग भेद को समझने में मदद करना।
- सहभागियों को सामाजिक “रीति-रिवाजों” को चुपचाप स्वीकार कर लेने की प्रवृति अपनाने के बजाय उसके बारे में सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करना।

सामग्री : विशेष रूप से कुछ भी नहीं। जोड़े में वार्तालाप करने के लिए एक बड़े कमरे या खुले स्थान की आवश्यकता होती है।

सशक्तिकरण के मुख्य : पारिवारिक/पारस्परिक, सामाजिक सांस्कृतिक

1 क्रियाविधि :

- सत्र के विषय और उद्देश्य की घोषणा करें।
- उस स्थान के एक भाग को “लड़के” और दूसरे भाग को “लड़कियां” के रूप में चिह्नित करें।
- उसके बाद, दस वालंटियरों को बुलाएं और उन्हें पंक्ति में खड़ा होने के लिए कहें।
- घोषणा करें कि आप 12 कथनों को पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे जीवन की परिस्थितियों और घटनाओं को दर्शाते हैं। प्रत्येक दस वालंटियरों से उन कथनों पर प्रतिक्रिया देने की उम्मीद की जाएगी।

- दी गई जीवन की परिस्थितियों में किसे अधिक लाभ मिला है, इसके आधार पर वालंटियरों को "लड़के" वाले भाग की ओर या "लड़की" वाले भाग की ओर जाने के लिए कहें।
- प्रत्येक परिस्थिति के तहत दोनों भागों की ओर जाने वाले वालंटियरों की संख्या की गिनती दर्ज करने के लिए एक स्कोर शीट तैयार करें। (उदाहरण – कथन 1 के लिए – 8 वालंटियर "लड़के" वाले भाग में खड़े होते हैं जबकि केवल 2 "लड़की" वाले भाग में खड़े होते हैं।)
- अब, वालंटियरों के "लड़के" या "लड़की" वाले भाग की ओर जाने के दौरान निम्नलिखित परिस्थितियों की घोषणा करते रहें। साथ ही, वालंटियरों को अपने चुनाव के कारण बताने के लिए भी कहें। (प्राय: सभी परिस्थितियों में अधिकांश वालंटियर "लड़के" वाले भाग में जाएंगे।
  - **बच्चे का जन्म दिवस मनाना :** सामान्यत: लड़के का जन्म दिवस मनाया जाता है।
  - **बच्चे का नामकरण मनाना :** अधिकांशत: लड़के के नामकरण समारोह को बहुत घूमधाम से मनाया जाता है, जबकि लड़की का नहीं।
  - **बच्चे के जन्म पर दूसरे परिवार के सदस्यों की प्रतिक्रिया :** अधिकांशत: बुजुर्ग बेटा के जन्म, लेने पर माँ को खुले दिल से बधाई देते हैं और लड़की के जन्म लेने पर अगली बार लड़का के जन्म् लेने की कामना करते हुए मां को दिलासा देने का प्रयास करते हैं।
  - **बच्चे के जन्म लेने पर मां और बच्चे की देखभाल एवं उनका पोषण :** सामान्यत: लड़की की मां की तुलना में लड़का के मां की चिंता अधिक की जाती है और परिवार में बेहतर दर्जा दिया जाता है।
  - **बच्चे की स्वास्थ्य सेवा – सामान्यत :** परिवार में लड़के को अस्पतालों में ले जाया जाता है और डॉक्टरों को दिखाया जाता है, जबकि लड़कियों को घरेलू और नीम-हकिम से इलाज कराया जाता है। इसके अलावा, परिवार में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को स्तनपान कराने में अधिक दिलचस्पी देखी जाती है।
  - **लड़कियों के जन्म को रोकना :** जन्म-पूर्व सामाजिक लिंग निर्धारण व्यापक रूप में स्वीकृत अपराध है जिसके परिणामस्वरूप लड़कियों की भ्रूण-हत्या होती है और इस प्रकार लड़कियों का लिंगानुपात गिरता है।
  - **बच्चों की शिक्षा :** साक्षरता दर दर्शाती है कि पढ़ने वाली लड़कियों की तुलना में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या् अधिक है।
  - **खेलने का समय :** सामान्यत: बाहर खेलने के लिए लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक भेजा जाता है।
  - **घरेलू कार्य में मदद करना :** सामान्यत:, घरेलू कार्यों में लड़कों की तुलना में लड़कियों से अधिक मदद की उम्मीद की जाती है।
  - **प्रौढ़ता और चंचलता :** सामान्यत: जब लड़कियों को मासिक धर्म आरंभ हो जाता है या वे प्रौढ़ हो जाती हैं तो परिवार के सदस्य लड़कियों को बाहर जाने या आसपास खेलने से मना करते हैं। लड़कों पर ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया जाता।
  - **शादी :** अधिकांशत:, परिवार के लोग अपनी बेटियों के लिए दुल्हों की खोज करने लग जाते हैं और दहेज के बारे में चिंता करने लगते हैं, परन्तु लड़कों की शादी बहुत ही आसानी से हो जाती है।
  - **निर्णय लेने की क्षमता :** सामान्यत: लड़कियों को यह बताया जाता है कि वे किस प्रकार के कपड़े पहनें, कौन-सा कार्य करें, अजनबियों से किस प्रकार बात करें, परन्तु लड़कों के मामले में ऐसा नहीं होता है।
- अब, "लड़के" और "लड़कियां" भाग के कुल अंकों की घोषणा करें और विजेता भाग की घोषणा करें।
- वालंटियरों से बैठने के लिए कहें और उन्हें भाग लेने के लिए धन्यवाद दें।

2 चर्चा के लिए प्रश्न :

- "लड़की" कॉर्नर की अपेक्षा "लड़के" कार्नर में अधिक वालंटियरों के होने से आप कैसा महसूस करती हैं?
- क्या जन्म से लेकर वयस्क होने तक लड़कियों और लड़कों के पोषण एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भिन्न दृष्टिकोण होने चाहिए? इस स्थिति में सुधार लाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है?
- लड़कियों को बाहर खेलने के बदले घरेलू कार्य करने के लिए घर पर रहने की उम्मीद क्यों की जाती है, खासतौर पर मासिक धर्म शुरू होने के बाद? स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या किया जा सकता है?
- लड़कियों की शादी जल्दी होने की उम्मीद क्यों की जाती है और उन्हें प्राय: दहेज के बोझ से संबंधित क्यों समझा जाता है?
- क्या लड़कियों को अपने जीवन के संबंध में परिवार में निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हो सकता है?

3 अनुदेशक के लिए नोट:

- बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, सामाजिक लिंग भेद घर से आरंभ हो जाता है। यह परिवार के सदस्यों के रवैये से स्पष्ट होता है, जब परिवार के सदस्य लड़की का जन्मोत्सव मनाना नहीं चाहते हैं या बच्चे के जन्म देने के बाद बच्चे के सामाजिक लिंग के आधार पर महिला के साथ व्यवहार किया जाता है। यह भेदभाव लड़कियों और महिलाओं द्वारा जीवन पर्यंत देखा एवं महसूस किया जाता है, चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या शिक्षा, शादी, नौकरी के अवसर या उनके द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा और उनके पास निर्णय लेने का अधिकार हो।
- सामानयत: अधिकांश घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी महिलाओं एवं लड़कियों की होती है जिससे शिक्षा और आजीविका के कम अवसर एवं लाभ प्राप्त होते हैं। जबकि, आदमी शिक्षा, अतिरिक्त पाठ्यक्रम जैसे खेल, अवकाश आदि का लाभ उठा सकते हैं। हालाकि अधिकांश कार्य महिलाएं करती हैं, परन्तु उसे उसका श्रेय नहीं मिलता है और उन्हेंर मेहनताना या वेतन नहीं मिलता है। यह अनुचित है क्योंकि:
- आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होने के कारण उनमें निर्णय लेने की क्षमता कम होती है।

- अधिकांश समय वे अकेले घर के सारे कार्य करती रहती हैं।
- यदि वे बाहर कार्य करती है तो उनकी जिम्मेदारी घर के कार्यों की भी होती है।
- इस कार्य से उन्हें मुश्किल से विराम, अवकाश या छुट्टी मिलती है।
- घर के रोजमर्रा के कार्यों के कारण महिलाओं और लड़कियों को अपने गुणों, अवकाश, प्रसन्नता या ज्ञान को प्रखर करने या अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने का समय नहीं मिलता है।
- उनके कार्य को मुश्किल से सम्मा्न मिलता है, खास तौर पर घर के अन्य सदस्यों द्वारा। कभी-कभी, इन कार्यों को घर के कुछ दूसरे सदस्यों द्वारा "गरिमा के खिलाफ" कार्य समझा जाता है। प्राय:, समझा जाता है कि यह कोई कार्य नहीं है।

दूसरी तरफ, इन कार्यों को पुरूष भी करते हैं, परन्तु मेहनताने के लिए, और वह भी ऐसी परिस्थितियों में जहां इसे सम्मानजनक समझा जाता है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में विश्वास किया जाता है कि पुरुष इन कार्यों को घर पर करने के लिए नहीं होते हैं। सामान्यत: बताया जाता है कि ये कार्य महिलाओं/लड़कियों के लिए होते हैं और पुरुष/लड़के उन्हें अच्छी तरह नहीं कर सकते। कुछ उदाहरण निम्नानुसार हैं:

- होटलों या रेस्टोमरेंट में खाना बनाना
- लाउन्ड्री केन्द्र पर कपड़े धोना
- कपड़ों/पोशाकों की सिलाई करना
- स्कूलों, विश्वविद्यालयों में पढ़ाना आदि।

अंतत:, लड़कियों में निर्णय लेने की क्षमता और सत्ता की कमी के लिए शिक्षा, आजीविका की कमी, मासिक धर्म आरंभ होने या मां बनने के बाद घूमने-फिरने में कमी को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बचपन से स्वास्थ्य सेवाओं और आत्मसम्मान की कमी के परिणामस्वरूप स्थिति और अधिक जटिल होती जाती है।

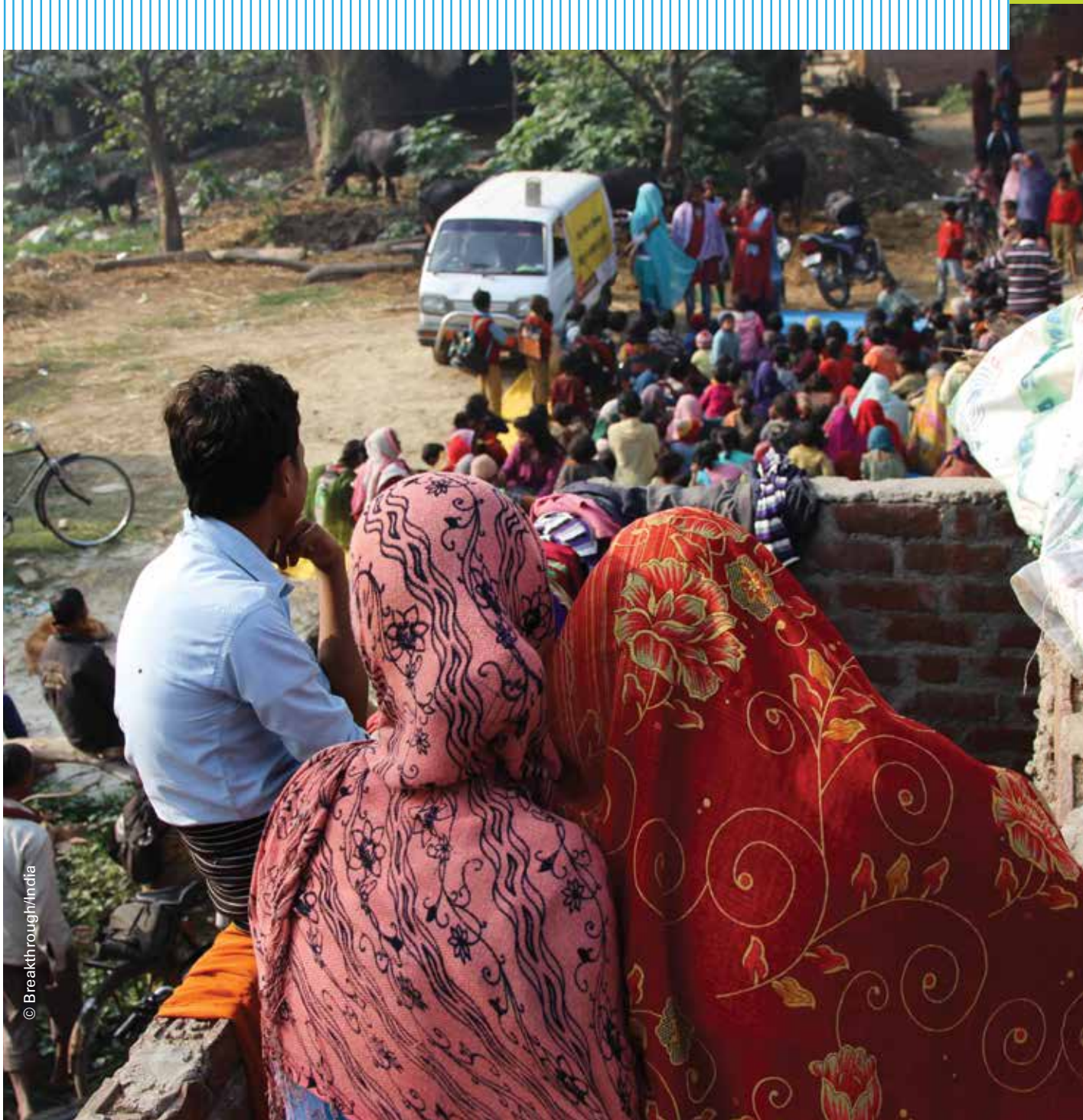
© Breakthrough/India

सत्र

3

90 मिनट

हिंसा एवं अधिकार

आवश्यक सामग्री

व्हाइट बोर्ड

मार्कर पेन

उद्देश्य :

- हिंसा को पहचानना और उसकी सूची बनाना और यह समझना कि उससे कौन प्रभावित होता है
- महिलाओं पर हिंसा के प्रभाव का विश्लेषण करना
- उन अधिकारों की पहचान करना और उनकी सूची बनाना जिसका हिंसा के कारण उल्लंघन होता है।

सशक्तिकरण के मुख्य : पारिवारिक/पारस्परिक, सामाजिक सांस्कृतिक

1 क्रियाविधि :

- उन विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न, दुराचार और हिंसा के बारे में सहभागियों से प्राप्त प्रत्युत्तर जिनका घर और बाहर जैसे गलियों में, बाजारों में, कार्य-स्थलों आदि पर महिलाएं सामना करती हैं, को प्रस्तुत करें।
- सहभागियों को 4 या 5 के समूह में विभाजित करें।
- सहभागियों से अपने समूह में चर्चा करने और महिलाओं या लड़कियों के विरुद्ध होने वाले हिंसा के एक किस्म की पहचान करने के लिए कहें।
- उन्हें समूह के सदस्यों जो अलग-अलग भूमिकाओं में हो सकते हैं, का प्रयोग करके और उनके आस-पास जो भी साधन उपलब्ध हो उसका प्रयोग करे के पोस्टर के रूप में उस हिंसा को प्रस्तुत करना होगा। कोई वक्तव्य पेश नहीं करना है।

- अपने पोस्टर में समूहों को प्रस्तुत करना – इस अवस्था में चर्चा न करें, दर्शकों को केवल यह पहचान करने के लिए कहना कि वे देखें कि चित्र में क्या हो रहा है और यह जांच करना कि दर्शक अपने चित्र को सही-सही पहचान करते हैं अथवा नहीं और उसके बाद अगले समूह को प्रस्तुत करने के लिए कहना।
- नीचे दर्शाए गए अनुसार ह्वाइट बोर्ड पर एक सारणी बनाएं और प्रथम कॉलम में दर्शाए गए अनुसार प्रत्येक पंक्ति में लेबल लगाएं। उसके बाद, कॉलम के आधार पर सहभागियों ने जो प्रत्येक पोस्टर थिएटर में देखा उसके बारे में सहभागियों से प्राप्त प्रतिक्रिया को लिखना। जितना विस्तार से हो सके, चर्चा करना और उसके बाद अगले पोस्टर थिएटर पर जाएं और जो कमी हो, उसे पूरा करना।
- तालिका के विषय का सार प्रस्तुत करके और यह बताकर सत्र का समापन करें कि अधिकांश मामलों में महिलाएं प्रभावित होती हैं, अधिकांश हिंसा पुरुषों द्वारा की जाती है ये पुरुष महिलाओं के करीबी या रिश्तेदार होते हैं और इसका अधिक प्रभाव महिला पर पड़ता है।

हिंसा की कौन-सी घटना थी	किस प्रकार का हिंसा थी	हिंसा का मुकाबला कौन कर रहा था
ये वे घटनाएं होंगी जिन्हें समूहों द्वारा पेश किया गया है जैसे बस, बाजार में यौन उत्पीड़न, घर में घरेलू हिंसा, अस्पतालों में पक्षपातपूर्ण सामाजिक लिंग चयन, शिक्षा की उपलब्धता में लैंगिक भेदभाव आदि।	यह शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, आर्थिक, यौन आदि किस्म का होगा	महिला, बच्चे, उसके माता-पिता होंगे

हिंसा करने वाला कौन था	हिंसा से पीड़ित व्यक्ति पर क्या प्रभाव है	इस व्यक्ति के किन अधिकारों का हनन हो रहा है
यहां हिंसा करने वाले लोग अनेक हो सकते हैं जैसे संबंधी, पति, पड़ोसी, माता-पिता, अजनबी आदि	यह उसकी चंचलता, संरक्षा एवं सुरक्षा, कम आत्मस-सम्मान आदि के रूप में हो सकता है	इस कॉलम में अनेक अधिकार होंगे जैसे स्वतंत्रता, समानता का अधिकार जिसकी सहभागी पहचान करेंगे। यदि जरुरत हुई तो अनुदेशक को उन अधिकारों की छानबीन करनी होगी जो छूट गए हो सकते हैं।

2 चर्चा के लिए प्रश्न:

- यह तालिका क्या बतलाती है?
- उन सभी मामलों में प्रभावित व्यक्ति कौन है?
- अधिकांश मामलों में हिंसा करने वाला कौन है? क्या वे प्रभावित व्यक्ति के कोई रिश्तेदार हैं?
- पीड़ित व्यक्ति पर किस प्रकार का प्रभाव है?
- सभी घटनाओं में कौन-सा कारक एक जैसा है?

3 अनुदेशक के लिए नोट:

हिंसा के अधिकांश मामलों में, पीड़ित व्यक्ति महिला/लड़की, उसके परिवार के सदस्य और उसके बच्चे हैं। ये सभी लोग असुरक्षित हैं क्यों कि समाज में दूसरे दर्जे की स्थिति के कारण उन्हें 'कमजोर' समझा जाता है। इसके अलावा, अधिकांश घटनाओं में, हिंसा करने वाला व्यक्ति/उत्पीड़क कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो महिला का परिचित होता है या उससे संबंधित है। उसका अपना घर या निवास स्थान उसके लिए असुरक्षित हो जाता है, जिससे कहीं दूसरी जगह संरक्षण और आश्रय पाने के अवसर और संभावना कम हो जाती है। इससे उसकी असुरक्षा और बढ़ जाती है और आगे सेवाओं और देखभाल तक उसकी पहुँच कम हो जाती है जो उन्हें सम्मानजनक, सुरक्षित और हिंसामुक्त जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है।

सत्र

4

30 मिनट

हमारे जीवन में सामाजिक लिंग और लिंग के प्रभाव को समझना

आवश्यक सामग्री

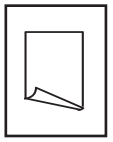

फ्लीप चार्ट पेपर

मार्कर पेन

उद्देश्य:

- किशोरियों को यौन संबंध और सामाजिक लिंग के बीच अंतर समझने में मदद करना
- युगो पुरानी सामाजिक नियमों के परिणामस्वरूप हासिल की गई पुरुषों एवं महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण करना और अस्वीकार करना
- सहभागियों को सामाजिक लिंग आधारित उन कार्यों और जिम्मेदारियों को पहचानना जिसके परिणामस्वरूप निर्णय लेने की क्षमता घटती है और विकास के साधन सीमित होते हैं

सशक्तिकरण केन्द्र बिन्दु : मानसिक, पारिवारिक/पारस्परिक, सामाजिक सांस्कृतिक पहलू

1 क्रियाविधि :

- सत्र 1 से सामाजिक लैंगिक रूढ़ियों से संबंधित घटनाओं को याद करें जहां समूह ने पुरुषों और महिलाओं में कुछ सामान्य रूप से स्वीकृत गुणों की पहचान की थी। यह भी चर्चा की गई थी कि हम सभी में जीवन में मौजूद परिस्थितियों के आधार पर सभी गुण प्राप्त करने की क्षमता होती है।
- सामाजिक लैंगिक रूढ़ियों के क्रम में सामाजिक लिंग और लिंग की समझ के रूप में सत्र के विषय की घोषणा करें जहां हम पुरुषों एवं महिलाओं को दिए गए कार्यों और जिम्मेदारियों में कुछ "मानदण्डों" को चुनौती देने का प्रयास करेंगे। इससे समाज में लड़कियों/महिलाओं को दिए गए सीमित अधिकारों और सुविधाओं के पीछे कारण समझने में भी मदद मिलेगी।

- सहभागियों के लिए निम्नलिखित तालिका बनाएं और स्पष्ट करें:

लिंग	सामाजिक लिंग
यह जैविक है	**इसका निर्माण समाज में होता है**
आपका जन्म इसके साथ हुआ है	**इसे सीखा जाता है**
इसे बदला नहीं जा सकता है (शल्य चिकित्सा के बिना)	**इसे बदला जा सकता है।**
यह नियत है	**अलग-अलग समाजों, देशों, संस्कृति और ऐतिहासिक कालों में सामाजिक लिंग की भूमिका बदलती है।**

- अब निम्नलिखित कथन पढ़ें और सहभागियों से यह पहचान करने के लिए कहें कि दिया गया कथन "लिंग" पर आधारित है या "सामाजिक लिंग" पर। सहभागी जहां-तहां से उत्तर दे सकते हैं परन्तु उन्हें लिंग और सामाजिक लिंग चार्ट तालिका से उपयुक्त कारण के साथ अपने उत्तर का समर्थन भी करना पड़ेगा। इसके अलावा, अंत में सही उत्तर दें जैसा कि नीचे कोष्टक में दिया गया है।
- सामाजिक लिंग/लिंग विवरण:
  - महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, पुरुष नहीं। (लिंग)
  - छोटी लड़कियां विनित होती है और लड़के उपद्रवी। (सामाजिक लिंग)
  - भारतीय कृषि कामगारों में महिलाओं को एक ही किस्म् के कार्य के लिए पुरुषों की मजदूरी का 40-60 प्रतिशत दिया जाता है। (सामाजिक लिंग)
  - महिलाएं बच्चों को स्तनपान करा सकती हैं, पुरुष बच्चों को बोतल से दूध पीला सकते हैं। (लिंग, सामाजिक लिंग)
  - महिलाएं कामकाजी होने पर भी उसे घर की देखभाल करना पड़ता है। (सामाजिक लिंग)
  - भारत में अधिकांश व्यावसायिक लोग पुरुष हैं। (सामाजिक लिंग)
  - मेघालय में महिलाएं उत्तराधिकारी होती हैं पुरुष नहीं (सामाजिक लिंग)
  - पुरुषों की आवाज प्रौढ़ होने पर फट जाती है, महिलाओं की नहीं। (लिंग)
  - 224 सभ्यताओं के अध्ययन में 5 सभ्यताएं ऐसी मिली है जिनमें खाना बनाने का काम पुरुष करते थे, और 36 सभ्यताएं ऐसी मिली हैं जिनमें महिलाएं भवन बनाने का काम करती थीं। (सामाजिक लिंग)
  - महिलाओं को खतरनाक काम जैसे भूमिगत खनन करने से रोका जाता है। (सामाजिक लिंग)
  - संयुक्त राष्ट्र के आकड़े के अनुसार, महिलाएं विश्व का 67 प्रतिशत कार्य करती हैं, फिर भी उनकी आमदनी विश्व की आमदनी का 10 प्रतिशत है। (सामाजिक लिंग)

2 चर्चा के लिए प्रश्न :

- यदि सभी सामाजिक लिंगों के लिए गैर-जैविक गुण समान हो सकते हैं तो भेदभाव क्यों होता है?
- हमारा सामाजिक लिंग हमारे अधिकारों के उपभोग को किस प्रकार प्रभावित करता है? क्या यह अधिकारों के हनन के लिए एक और कारण है? अनुदेशक महिलाओं और पुरुषों के बीच भूमिका में अंतर, घुमने-फिरने, शिक्षा के अवसरों, राजनैतिक अधिकारों, परिवार के सदस्यों की देखभाल और परवरिश करने की जिम्मेदारियों में अंतर पर चर्चा कर सकता है)।

3 अनुदेशक के लिए नोट:

'प्रकृति और हमारा जीव विज्ञान' स्त्रि और पुरुष में अभिलक्षण निर्धारित नहीं करता है जो लोगों में होने चाहिए। यह केवल यह संकेत करता है कि आपका जन्म स्त्री के रूप में हुआ है अथवा पुरुष के रूप में। यौन और सामाजिक लिंग के बीच अंतर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यह भेदभाव और सत्ता प्रदर्शन के सुक्ष्म रूपों को समझने में मदद करता है जो हमारे घरों, समुदाय और समाज में मौजूद है। आपके सामाजिक लिंग के कारण आपके लिए निश्चित कार्य का नियम बनाने या आपसे कोई विशिष्ट अपेक्षा करने से आपका उपभोग का अधिकार प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के लिए, किसी ऐसी संस्कृति जहां महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे परिवार में पुरुषों के निर्णय पर सवाल न करें, वहां हिंसा होने के बावजूद उन पर चुप रहने के लिए दबाव हो सकता है और इस प्रकार उनका हिंसा से मुक्त जीवन जीने का अधिकार खतरे में होता है।

भूमिका उवं उत्तरदायित्व का सृजन सामाजिक मानदण्डों, धार्मिक प्रतिबंधों, पारिवारिक संस्कृति और कानूनी रूप से स्वीकृत अधिकारों द्वारा लम्बे समय के बाद होता है। वास्तव में सभी कार्य सभी लोगों – स्त्री एवं पुरुष दोनों द्वारा किया जा सकते हैं, बशर्ते कि दोनों को समान संसाधन और मुक्त रूप से आवाजाही की आजादी के साथ निर्णय लेने के अधिकार प्राप्त हो। परन्तु, समाज हमारे लिए बनावटी अवरोध तैयार कर देता है। लड़की को हमेशा ऐसे सदस्य के रूप में समझा जाता है जो परिवार से दूर चली जाएगी और इसलिए वह परिवार की आय में उसका कोई योगदान नहीं होगा। लड़के की शिक्षा को परिवार की भविष्य की आवश्यकताओं के लिए निवेश के रूप में देखा जाता है।

सत्र

5

45 मिनट

संबंधों में सत्ता एवं सामाजिक लिंग के बीच की कड़ी

आवश्यक सामग्री

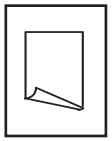

फ्लीप चार्ट पेपर

मार्कर पेन

उद्देश्य :

- किशोरियों को संबंधों में सत्ता की भूमिका और निर्णय लेने की परिभाषा समझाने में मदद करना
- सत्ताहीनता का अहसास दूर करने और अपनी सत्ता का सकारात्मक उपयोग करने के लिए सहभागियों को प्रोत्साहित करना
- सहभागियों को यह समझने में मदद करना कि सत्ता का दुरुपयोग करने से दुव्यवहार को किस प्रकार बढ़ावा मिलता है।

सशक्तिकरण का मुख्य केन्द्र : मानसिक, पारिवारिक/पारस्परिक, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, आर्थिक व्यवस्था

1 क्रियाविधि:

- सत्र के नाम और उद्देश्य की घोषणा करें
- यह बताना कि लड़की के रूप में सामाजिक लिंग-आधारित समस्याओं की जानकारी अच्छी् बात है परन्तु हो सकता है कि वह जानकारी पर्याप्त न हो। स्वयं से शुरू करते हुए स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करना उतना ही महत्वपूर्ण है। इस सत्र में इसी प्रकार के एक महत्वपूर्ण विषय – परिवार और समग्र समाज में लड़कियों द्वारा निर्णय लेने की क्षमता और विकास कार्यों एवं उत्तरदायित्वों में सुधार लाने के लिए सत्ता के प्रयोग पर चर्चा की जाएगी।

- चार्ट पर “सत्ता” शब्द लिखना और सहभागियों से पूछना कि वे इस शब्द का क्या अर्थ समझते हैं। सहभागियों के सभी उत्तरों को लिखें और प्राप्त सूचना का सारांश तैयार करें।
- आगे, एक चार्ट पेपर पर निम्नलिखित संबंधों को लिखें। सहभागियों से कहें कि वे प्रत्येक ऐसे संबंधों से संबंधित परिस्थितियों को याद करें और बताएं जहां अधिक सत्तावान व्यक्ति ने दूसरे की मदद की हो या नुकसान पहुँचाया हो। इसके अलावा, प्रत्येक परिस्थिति में उन्हें यह भी विश्लेषण करने के लिए कहें कि उस रिश्तेदार सत्ता समर्थ व्यक्ति ने कहां से सत्ता प्राप्त की थी।

रिश्तेदार	सत्ता किसके पास है?	क्यों
पिता एवं पुत्री	**पिता**	**उम्र में बड़े। पैसा कमाते हैं। शरीर से मजबूत हैं।**
पिता और माता		
शिक्षक एवं छात्र		
कक्षा का मॉनिटर और छात्र		
पिता की मां और अपनी मां		

- आगे, स्पष्ट करें कि सत्ता अपने आप में नकारात्मक या सकारात्मक नहीं होती है। इससे इसके उपयोग या दुरूपयोग के आधार पर मदद मिलती है या नुकसान होता है। यदि सत्ता का गलत प्रयोग किया जाए तो इससे उस व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है जिसके खिलाफ इसका प्रयोग किया जाता है और यह उनके संबंधों को गलत रूप से प्रभावित कर सकता है। रिश्ते में दुर्व्यवहार और उत्पीड़न सदस्यों के बीच सत्ता के असंतुलित होने के कारण होता है।
- उसके बाद, इन चार प्रकार की सत्ता के बारे में विस्तार से स्पष्ट करें जिन्हें अनुदेशक नोट्स में दिया गया है:
  - लोगों के पास अधिक सत्ता
  - लोगों या किसी सिस्टम में कम सत्ता
  - बराबरी की सत्ता
  - आंतरिक सत्ता

2 चर्चा के लिए प्रश्न:

- क्या सत्ता का होना संबंधों में कोई नकारात्मक लक्षण या पहलु है?
- संबंधों में दुर्व्यवहार क्यों होता है?
- हमें लड़कों/पुरुषों को लड़कियों/महिलाओं से अधिक सत्ता समर्थ क्यों मानना चाहिए?
- क्या कम सत्ता समर्थ किसी ऐसे रिश्तेदार व्यक्ति जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ हो, उस स्थिति के लिए सत्ता समर्थ व्यक्ति के बराबर दोषी माना जा सकता है?
- लड़कियां/महिलाएं रिश्ते में अपनी सत्ता और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर करने के लिए कौन-सा प्रयास कर सकती हैं।

3 अनुदेशक के लिए नोट्स:

सत्ता अपने आप में नकारात्मक या सकारात्मक नहीं होती है। इससे इसके उपयोग या दुरूपयोग के आधार पर मदद मिलती है या नुकसान होता है। यदि सत्ता का गलत प्रयोग किया जाए तो इससे उस व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है जिसके खिलाफ इसका प्रयोग किया जाता है और यह उनके संबंधों को गलत रूप से प्रभावित कर सकता है। रिश्ते में दुर्व्यवहार और उत्पीड़न सदस्यों के बीच सत्ता के असंतुलित होने के कारण होता है।

सामान्यत: संबंधों और निर्णय लेने को निर्धारित करने में तीन प्रकार की सत्ता पाई जाती हैं जो किशोर लड़कियों के मामले में सर्वाधिक प्रासंगिक है:

- लोगों में अधिक सत्ता होना– हम सबके आप अपने आस-आस के दूसरे लोगों की अपेक्षा अधिक सत्ता होती है क्योंकि हमारे पास वे संसाधन होते हैं या संसाधनों का नियंत्रण होता है जो दूसरे व्यक्तियों के पास नहीं होता है। जैसे- पिता सत्ता समर्थ होते हैं क्योंकि वे अपनी आमदनी से सभी संसाधन मुहैया कराते हैं।
- लोगों या सिस्टम में कम सत्ता: यह सत्ता तब आती है जब हम किसी दूसरे को सर्व-सत्ता समर्थ के रूप में पेश करते हैं और उसकी ओर से सत्ता का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मां का प्रिय बेटा अपनी बहनों को गलत तरीके से डरा सकता है। हममें उन निर्धारित मानदण्डों और व्यवस्थाओं से भी सत्ता प्राप्त होती है जो वर्षों से समाज में स्थापित किए गए हैं। जैसे – रिश्तेदारों या बड़ों, धार्मिक प्रमुखों आदि का सम्मान करना।
- बराबरी की सत्ता: यह सत्ता आपसी समझदारी के आधार पर किसी भेदभाव के बिना सभी सदस्यों द्वारा प्राप्त की जाती है। जैसे- सहकारी समितियां, एनजीओ, सहयोगी और कुछ मामलों में विकासशील परिवार।
- आंतरिक सत्ता : यह सत्ता आत्म प्रेरित होती है और अक्सर बदले हुए कारक में देखा जाता है जैसे उन लड़कों और लड़कियों में जो मानदण्डों को पार करते हैं इसमें वे माता-पिता भी शामिल हैं जो अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करते हैं।

हम सभी के पास इन सत्ता के समीकरण के आधार पर रिश्ते निर्धारित करने और निर्णय लेने की सत्ता होती है।

हमारे सामाजिक लिंग की पहचान यह निर्धारित करता है कि समाज में हमारे पास कितनी सत्ता है। इससे संसाधनों और अधिकारों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, तकनीक आदि तक हमारी पहुँच पर असर पड़ता है। सामान्यत:, समाज द्वारा स्थापित सामाजिक लिंग समीकरणों के कारण पुरुषों की अधिक संसाधनों तक पहुँच होती है और इसलिए उनके पास अधिक सत्ता होती है। शिक्षा और रोजगार के समान अवसरों के माध्यम से लड़कियां भी अधिक सत्ता हासिल कर सकती है।

सत्र

6

45 मिनट

किशोरियों के अधिकार

आवश्यक सामग्री

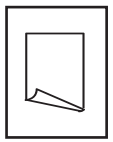

चार्ट पेपर

अलग-अलग रंग के दो मार्कर पेन

संलग्नक - संलग्नक 1 : मानवाधिकारों की सर्वव्यापी घोषणा

उद्देश्य :

- परिवार के भीतर समान सदस्यों के रूप में अपने अधिकारों को पहचानने में भाग लेने वाली लड़कियों की मदद करना
- भाग लेने वाली लड़कियों को मानवाधिकार के सिद्धांतों से परिचित कराना और उनके जीवन में उसका महत्व बतलाना

सशक्तिकरण का मुख्य केन्द्र : मानसिक, पारिवारिक/पारस्परिक, सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक

1 क्रियाविधि :

- सत्र के नाम और उद्देश्य की घोषणा करें
- एक चार्ट पेपर पर निम्नलिखित तालिका बनाएं और उसे सहभागियों को दिखाएं। आप उनके परिवार के मुख्य सदस्यों की सूची बनाने के लिए कहकर पँक्ति शीर्षों को भर सकते हैं। कॉलम शीर्ष भविष्य की परिस्थितियों के रूप में पहले से ही दिए गए हैं। आप अपनी जांच-पड़ताल क्षेत्र से संबंधित मामलों और समस्याओं के संदर्भ के अनुसार परिस्थितियों के रूप में और अधिक कॉलम जोड़ सकते हैं।

	अपना खरीदा हुआ या विरासत में प्राप्त घर होना	अपना खरीदा हुआ वाहन होना	नौकरी करना	उच्च शिक्षा / माध्यमिक स्तर की शिक्षा सहित	जीवन साथी चुनना और शादी के बाद अपना उपनाम बदलना	माता-पिता के रूप में बच्चों को जन्म देने का समय और उनकी संख्या का चुनाव करना	घरेलू खर्चों की व्यवस्था करना और उनकी प्राथमिकता तय करना
स्वयं	नहीं	नहीं					
बहन	नहीं	नहीं					
मां	नहीं	नहीं					
पिता	हां	हां					
भाई	हां	हां					

- अब, उनसे "परिस्थितियों" (कॉलम शीर्ष) के सामने प्रत्येक "परिवार का सदस्य्" (पँक्ति शीर्ष) के पक्ष में सोचने और हां/नहीं में जवाब देने के लिए कहें। उपर्युक्त तालिका में उदाहरण दिए गए हैं। आपको एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में जाना पड़ सकता है और सहभागियों का जवाब प्राप्त करने के लिए अधिक समय देना पड़ सकता है। जो सहभागी चुप रहते हैं उन्हें भी जवाब देने के लिए कहें और उन्हें प्रोत्साहित करें।
- "हां" और "नहीं" को अलग-अलग रंगों को प्रयोग करते हुए दर्ज करें। लड़कियों/महिलाओं के लिए "नहीं" की सबसे बड़ी संख्या दर्शाने वाले पैटर्न को चिह्नित करें जो उनकी सुविधाओं और अधिकारों की अस्वीकृति को दर्शाता है।
- उसके बाद, हैण्ड्आउट्स का वितरण करें – संलग्नक - संलग्नक 1 : मानवाधिकार क्या है?
- सहभागियों को 5-6 के समूहों में बांट दें और उनसे अपने समूहों में उस हैण्डआउट्स को पढ़ने और समझने के लिए कहें। उन्हें अपने समूहों में चर्चा करने के बाद हैण्डआउट में दी गई तालिका को भरना भी आवश्यक है। उन्हें हैण्डआउट्स को समझने के लिए उन्हें अपने समूह में हैण्डआउट्स को समझने, चर्चा करने और तालिका भरने के लिए 15 मिनट का समय दें।
- यह सुनिश्चित करने के लिए चक्कर लगाएं कि समूहों ने समझ लिया है कि क्या करना है और यदि आवश्यकता हो तो उनकी मदद करें।
- अब, प्रत्येक समूह से आगे आने और तालिका में दर्ज किए गए अपने जवाबों को प्रस्तुति करने के लिए कहें।
- एक अलग चार्ट पेपर पर उनका उत्तर दर्ज करते रहें और जब सभी समूह पेश कर दें तो उनका सारांश तैयार करें। लड़कियों के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक छ: किस्म के अधिकारों, उन अधिकारों का क्या मतलब होता है?, उन अधिकारों को प्राप्त् करने के लिए किन संसाधनों की आवश्यकता होती है?, इस प्रक्रिया के लिए कौन-से मुख्य लोग जिम्मेदार हैं, को स्पष्ट करते हुए सारांश प्रस्तुत करें। अनुदेशक के नोट के अंतर्गत एक संक्षिप्त उदाहरण पेश किया गया है।
- अब, अनुदेशक के नोट की सहायता से मानवाधिकारों के क्रम में भेदभाव के खिलाफ बाल अधिकारों और महिला अधिकारों के महत्व पर चर्चा

© Breakthrough/India

करें। विशिष्ट रूप से यह बताएं कि किशोर बच्चों को सभी किस्म के अधिकारों का ज्ञान होने और उन्हें समझने से उनकी सत्ता बढ़ सकती है और उनका सम्मानजनक और अर्थपूर्ण जीवन सुनिश्चित हो सकता है।

- सभी को भाग लेने के लिए धन्यवाद दें।

2 अनुदेशक के लिए नोट:

सहभागियों को मानवाधिकारों को स्पष्ट करने के लिए इस सरल चार्ट का प्रयोग करें। यही तालिका समूह कार्य के रूप में उन्हें चर्चा करने और भरने के लिए उनके हैण्ड्आउट्स के साथ दिए गए हैं। विषय को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए कुछ और विवरण जोड़ें।

मानवाधिकारों से संबंधित पहलु के अलावा, यह भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि "कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉमस् ऑफ डिस्क्रीमिनेशन अगेन्स्ट वुमन" (CEDAW) में निम्नलिखित अनुच्छेद शामिल हैं:

- न्याय प्रणाली में पुरुषों एवं महिलाओं की समानता का सिद्धांत;
- भेदभाव करने वाले सभी कानूनों को समाप्त करता है और उपयुक्त कानून जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का निषेध करता है, को स्वीकार करता है;

निम्नलिखित के लिए मेरे अधिकार	इसका अर्थ है:	संसाधनों की आवश्यकता	जिम्मेदार व्यक्ति
जीवन, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा	खेल और आराम; सामाजिक लिंग की समानता; पार्टनर चयन; सहवास चयन पर रोक; विवाह का अधिकार; पैत्रक संपत्ति का अधिकार; सभी महिलाओं और लड़कियों की आर्थिक सुरक्षा; प्रजनन के विकल्प का अधिकार (अंतराल और गर्भधारण) बचाव एवं सुरक्षा	आंगनवाड़ी का पंजीकरण; विद्यालय में नामांकन/ पंजीकरण; करियर के लिए परामर्श; व्यारवसायिक पाठ्यक्रमों से सहायता; कॉलेज में पंजीकरण; कोलेस्ट्रम, स्तनपान; टीकाकरण; पौष्टिक आहार; प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी	माता-पिता; बुजुर्ग लोग; समकक्ष व्यक्ति; समाज; सरकारी फील्ड कर्मचारी; अस्पताल के डॉक्टर, नर्स; पंचायत सदस्य; बाल सुरक्षा अधिकारी; पुलिस; धार्मिक नेता; शिक्षक; स्वयं
उत्पीड़न से स्वतंत्रता	यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से सुरक्षा		
निष्पक्ष सुनवाई	एफआईआर, वकीलों की नियुक्ति, न्यायालय की सुनवाई आदि के माध्यम से मेरी शिकायतों के लिए कानूनी समाधान तंत्र		
बोलने की स्वतंत्रता	समाज में लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के बारे में पढ़ना और चर्चा करना; समाज में जागरुकता बढ़ाने के लिए लड़कियों का किशोर समूह बनाना।		
धर्म की आज़ादी	पूजा करने के लिए सुरक्षित स्थान; पूजा समूह बनाना; यदि आवश्यक हो तो पूजा से संबंधित कार्यों को चुनने का विकल्प – जैसे स्वास्थ्य कारणों से उपवास रखने में असमर्थता आदि।		
स्वास्थ्य, शिक्षा और समुचित जीवन स्तर	सूचना और शिक्षा का अधिकार; टीकाकरण; स्वास्थ्य एवं पोषण; भोजन; परिवार नियोजन – महिलाओं का गर्भनिरोधक विकल्प		

- भेदभाव के खिलाफ महिलाओं की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रिब्युनलों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को प्रमाणित करता है;
- महिलाओं के खिलाफ पुरुषों, संगठनों या उद्यमों द्वारा किए जाने वाले सभी किस्म के भेदभावपूर्ण कार्यों का उन्मूलन सुनिश्चित करता है।

यह स्पष्ट करने के लिए कि लड़कियों और महिलाओं के क्या अधिकार हैं और उनके विरुद्ध होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, CEDAW में 30 अनुच्छेद हैं। हालांकि सभी अनुच्छेद अनिवार्य हैं, परन्तु जल्द समझने के लिए कुछ प्रमुख अनुच्छेद नीचे दिए गए हैं:

- **अनुच्छेद 1 :** लड़कियों और महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की परिभाषा
- **अनुच्छेद 3 :** आधारभूत मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी
- **अनुच्छेद 5 :** रूढ़ियों पर कार्य
- **अनुच्छेद 6 :** तस्करी और वेश्यावृत्ति
- **अनुच्छेद 10 :** शिक्षा
- **अनुच्छेद 11 :** रोजगार
- **अनुच्छेद 12 :** स्वास्थ्य
- **अनुच्छेद 16 :** विवाह और पारिवारिक जीवन

उसी प्रकार, बाल अधिकारों पर सम्मेलन (CRC) भी बच्चों के नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। सम्मेलन में निर्धारित अधिकारों को मुख्यत: निम्नलिखित तीन भागों में बाँटा जा सकता है:

- **प्रावधान :** किसी भी चीज या सेवा को धारण करने, प्राप्त करने या वहां तक पहुँचने का अधिकार (जैसे कोई नाम और राष्ट्रीयता, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, विश्राम और खेल और विकलांग और अनाथ व्यक्तियों की देखभाल)
- **सुरक्षा :** हानिकारक कार्यों और व्यवसायों से अभिरक्षण का अधिकार (जैसे माता-पिता से अलग होना, युद्ध में शामिल करना, व्यवसायिक अथवा यौन शोषण और शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न)
- **सहभागिता :** बच्चे के जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों पर सुनवाई का अधिकार। क्षमता संवर्धन के तौर पर, समाज की गतिविधियों में भाग लेने के लिए बच्चों के अवसरों में वृद्धि होनी चाहिए, वयस्क जीवन के लिए तैयारी के रूप में (जैसे बोलने, राय प्रकट करने, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषा की स्वतंत्रता)।

CRC में 54 अनुच्छेद हैं जो प्रतिदिन सभी देशों में बच्चों द्वारा सामना किए जाने वाले उपेक्षा और दुर्व्यवहार के खिलाफ उनकी सुरक्षा के मानक निर्धारित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विचार बच्चों के सर्वोत्तम हित में है। यद्यपि सभी अनुच्छेद अनिवार्य हैं, परन्तु सरलता से समझने के लिए कुछ प्रमुख अनुच्छेद नीचे दिए गए हैं:

- **अनुच्छेद 1 :** बच्चे की परिभाषा: बच्चे के लिए लागू कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र का प्रत्येक मानव जब तक वयस्क प्राप्त न हो जाए।
- **अनुच्छेद 2 :** भेदभाव रहित
- **अनुच्छेद 5 :** माता-पिता, परिवार, सामाजिक अधिकार एवं उत्तरदायित्व
- **अनुच्छेद 6 :** जीवन, अस्तित्व और विकास
- **अनुच्छेद 19 :** दुर्व्यवहार एवं उपेक्षा (परिवार या देखभाल में)
- **अनुच्छेद 24 :** स्वास्थ्य सेवा
- **अनुच्छेद 26 :** सामाजिक सुरक्षा
- **अनुच्छेद 28 :** शिक्षा
- **अनुच्छेद 32 :** आर्थिक शोषण
- **अनुच्छेद 34 :** यौन शोषण
- **अनुच्छेद 35 :** त्याग, बिक्री एवं तस्करी
- **अनुच्छेद 40 :** किशोर न्याय

किशोर बच्चों को विभिन्न प्रकार के अधिकारों का ज्ञान होने और उन्हें समझने से वे सशक्त बनेंगे और उनका सम्मानजनक एवं अर्थपूर्ण जीवन सुनिश्चित होगा। एक परिपूर्ण जीवन जीने के लिए लड़की और लड़के के रूप में या महिला और पुरुष के रूप में हम सभी को अपने जीवन में संसाधन की आवश्यकता होती है। आज के समाज में हम देखते हैं कि सामान्यत: महिलाओं और लड़कियों की अपेक्षा पुरुषों और लड़कों को संसाधन अधिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है ताकि लड़कियों और महिलाओं को बेहतर जीवन जीने के लिए समान अवसर और संसाधन मुहैया हो सके।

हम सभी को लड़कियों की सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में कार्य करने चाहिए और उनके प्रतिबंधों को कम करना चाहिए। लड़कियां एवं लड़के भिन्न हैं परन्तु असमान नहीं। लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग सुविधाएं होती हैं और उनके लिए अलग-अलग प्रतिबंध होते हैं। लड़कियों पर प्रतिबंध उनके विकास एवं प्रगति को अवरुद्ध करते हैं। लड़कियों को भी वहीं अवसर एवं सुविधाएं मिलनी चाहिए जो लड़कों को प्राप्त हैं। इससे उनके समग्र विकास में मदद मिलेगी और वे भी अपने परिवार एवं समाज के लिए योगदान दे सकेंगी।

मॉड्यूल II : यौन उत्पीड़न का सामना करना

सत्र

7

60 मिनट

यौन हिंसा से खुद को बचाना

आवश्यक सामग्री

सादे ए4 आकार के कागज

मार्कर पेन

संलग्नक - संलग्नक 2 : किशोर लड़कियों और लड़कों में यौन उत्पीड़न।

लड़कियों के खिलौने

उद्देश्य :

- किशोर लड़कियों को उनके विरुद्ध होने वाले यौन दुराचार की घटनाओं को पहचानने में मदद करना।
- यौन दुराचार या उत्पीड़न से अपनी रक्षा करने के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना।
- यौन दुराचार संबंधों में असमर्थता दूर करने में सहभागियों की मदद करना।

सश्क्तिकरण का मुख्य केन्द्र : मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक/पारंस्परिक, सामाजिक सांस्कृतिक

1 क्रियाविधि:

» सत्र के नाम और उद्देश्य की घोषणा करें

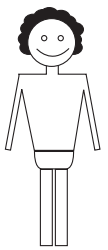

» प्रत्येक सहभागी को एक सादा कागज दें और उनसे अपने शरीर का सरल ढाचा बनाएं जैसे कि नीचे दर्शाया गया है:

» उसके बाद, अपने शरीर के ढाचे के उस निजी क्षेत्रों पर क्रॉस का निशान लगाने के लिए कहें जिसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा देखे जाने या स्पर्श करने पर असुविधा या गलत महसूस हो। शरीर के ढाचे के शेष भाग को सार्वजनिक क्षेत्र बताया जा सकता है जिसे दूसरे व्यक्तियों द्वारा भी देखा जा सकता है।

» अब, प्रत्येक सहभागी को दूसरा सादा कागज बांटें और उन्हें दो खड़ी रेखाएं खींचने और पृष्ठ को निम्नानुसार तीन कॉलम में विभाजित करने के लिए कहें:

मेरे सबसे भरोसेमंद लोग	यौन उत्पीड़न के चिन्ह (सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श)	यौन उत्पीड़न से मुकाबला

- सहभागियों को अपनी किसी गुप्त बात के बारे में सोचने के लिए कहें। उनसे किसी ऐसे व्यक्ति/लोगों के नाम लिखने के लिए कहें जिनसे वे किसी डर या संकोच के बिना उन गुप्त बातों को आराम से बता सकें। वह उनके अपने परिवार के कोई भी व्यक्ति जैसे माता या पिता, कोई शिक्षक, पड़ोसी या कोई दोस्त आदि हो सकता है।
- उसके बाद, उनसे पूछें कि वे निम्नलिखित परिस्थितियों में कैसा महसूस करते हैं।
  - » मां द्वारा आलिंगन करना (गले लगाना)
  - » बहन या भाई द्वारा गालों पर चुंबन करना
  - » दादा जी के पैरों को स्पर्श करते समय उनके द्वारा माथे पर थपकी देना
  - » परिवार के किसी सदस्य की उपस्थिति में डॉक्टर द्वारा सीने पर स्टेथोस्कोप रखना या जांघ पर सुई लगाना।
- अब, उनसे पूछें कि यदि उनमें से किसी ने निम्नलिखित परिस्थिति का सामना किया है तो उन परिस्थितियों में उन्हें कैसा महसूस हुआ:
  - » बस में यात्रा करते समय किसी अनजान यात्री द्वारा बांह पर थपकी देना
  - » कक्षा के साथी लड़कों द्वारा टकटकी लगाकर देखना
  - » कपड़े बदलते समय या स्नान करते समय लोगों द्वारा झांकना
  - » किसी अनजान व्यक्ति द्वारा आपके टांगों के बीच, कूल्हों पर या छाती पर आपको स्पर्श करने का प्रयास करना
- अंतिम दो परिस्थितियों के लिए उनसे संबंधित "सुरक्षित स्पर्श" और "असुरक्षित स्पर्श" की धारणा स्पष्ट करें। "सुरक्षित स्पर्श" और "असुरक्षित स्पर्श" के बीच महत्वपूर्ण अंतर बताने के लिए अनुदेशक के नोट्स की सहायता लें। साथ ही, जैसा कि आपने अगले दो मुद्दों पर चर्चा की, सहभागियों को "यौन उत्पीड़न के चिन्ह" और "यौन उत्पीड़न का मुकाबला" के अंतर्गत दूसरे और तीसरे कॉलम में नोट बनाने के लिए कहें।
- अच्छे और बुरे स्पर्श से संबंधित इन महत्वपूर्ण पहलुओं को चिह्नित करें:
  - » हमारी अनुमति के बिना हमें कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। हमारे शरीर पर हमारा अधिकार है (नाबालिग के मामले में अनुमति के साथ छुना भी अपराध माना जाता है)।
  - » खास तौर पर, भीतरी वस्त्र द्वारा ढके हुए भागों में हमें किसी भी व्यक्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए; उन भागों में हमारी टांगों के बीच का भाग, हमारे कूल्हे और हमारी छाती शामिल हैं। यदि वे हमें साफ और स्वस्थ रहने में मदद करते हैं, जैसे जब हम बीमार पड़ जाते हैं और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं तो डॉक्टर या माता-पिता, तो वे ऐसा कर सकते हैं।
  - » यदि कोई व्यक्ति हमारी इच्छा के विरुद्ध असुरक्षित स्पर्श करता है तो निम्नलिखित तीन चीजें करनी चाहिए:
    - **"नहीं! मुझे मत छुओ"** कहें।
    - **भाग जाएं** और उस व्यक्ति से दूर हो जाएं।
    - **इसके बारे में उस व्यक्ति को बताएं** जिसपर आप सबसे अधिक भरोसा करते/करती हैं। (सहभागियों को उन लोगों को देखने के लिए कहें जिन्हें उन्होंने चरण 5 के अंतर्गत क्रियाकलाप के दौरान पहचान की थी) (सहभागियों को यौन उत्पीड़न रोकने में इन तीन चरणों को जोर से दोहराने के लिए कहें।)
- सहभागियों को इस बात पर जोर देते हुए चाइल्ड्-लाइन नम्बर 1098 दें कि उस नम्बर पर तभी बात करनी चाहिए जब परिवार के करीबी सदस्य/अभिभावक लड़की द्वारा बताई गई यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुनने या कार्रवाई करने से इंकार कर दें।
- संलग्नक - संलग्नक 2 : किशोर लड़कियों और बच्चों में यौन उत्पीड़न की प्रतियां बाँटें और सहभागियों को अपने परिवार के साथ शेयर करने के लिए कहें। स्थानीय एनजीओ की एक सूची जो बाल यौन उत्पीड़न के ऐसे मामलों में मदद करता है, मुहैया कराएं और हैण्डआउट्स नोट में नाम/संपर्क नम्बर आदि के ब्यौरे जोड़ें।
- सहभागियों को 'रूना की कहानी' पढ़ने के लिए कहें और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करें।

2 चर्चा के लिए प्रश्न :

- जब रूना को "असुरक्षित स्पर्श" किया गया तो क्या यह उसकी गलती थी?
- इस प्रकार के यौन उत्पीड़न से स्वयं को बचाने के लिए रूना ने क्या किया होगा? वह इसके बारे में अपने माता-पिता को बताने से क्यों डरती थी।
- जब रूना ने इसके बारे में अपने माता-पिता को बताया तो बार-बार होने वाले यौन उत्पीड़न से बचाने में रूना के माता-पिता ने क्या मदद की होगी?
- किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी स्थिति रूना जैसी हो, की मदद करने के लिए आप क्या करेंगे?

3 अनुदेशक के नोट:

सहभागियों को यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई व्यक्ति "असुरक्षित स्पर्श" करके उनका यौन उत्पीड़न करता है तो यह उसकी (लड़की) गलती नहीं है। उसके लिए लड़की को जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए। जो भी होता है, उसके लिए वृद्ध, वयस्क व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति ही दोषी और जिम्मेदार होता है। फिर भी, लड़कियां तीन तरीकों अर्थात् "नहीं" कहकर,

उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति से दूर जाकर और इस घटना की जानकारी निकट के लोगों जिसपर उसे विश्वास हो, को बताकर अपनी मदद कर सकती हैं।

सुरक्षित स्पर्श	असुरक्षित स्पर्श
अच्छा अनुभव हो जिसके बारे में सबको बताया जा सके (नाबालिग के मामले में लागू नहीं)	बुरा अहसास दिलाता हो जो प्रत्येक व्यक्ति को न बताया जा सके
जो खुला, पारस्परिक हो और बिना सहमति के न हो (नाबालिग के मामले में अनुमति के साथ छुना भी अपराध माना जाता है)	स्पर्श करने वाले व्यक्ति द्वारा अक्सर धमकी के साथ छिपकर किया जाता है
किशोर लड़कियों को उनके टांगों के बीच, कूल्हों या छाती पर कभी न किया जाए बशर्ते चिकित्सा कारणों से डॉक्टर या माता-पिता द्वारा और हमेशा अनुमति के साथ करना आवश्यक न हो	टांगों के बीच का भाग, कूल्हों या छाती सहित शरीर के किसी भी भाग पर और अधिकांशत: अनुमति के बिना किया हो सकता है
किशोर लड़कियों से शरीर के निजी भागों पर कुछ करने का अनुरोध किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कभी नहीं किया जा सकता है	अनजान व्यक्तियों और परिवार के सदस्यों द्वारा किया जा सकता है
	किसी दूसरे व्यक्तियों द्वारा भी अनुरोध किया जा सकता है जैसे उनके निजी भाग या होठों को स्पर्श करने के लिए कहना
	इसका अनुभव तब भी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति आपके सामने अपने शरीर के निजी भागों को स्पर्श करता है

सुरक्षित स्पर्श	असुरक्षित स्पर्श
	इसमें फोटो या विडियो बनाने के लिए कैमरे के सामने कपड़े उतारने या अस्वीकार्य तरीके से अभिनय करने के लिए अनुरोध करना भी शामिल है
	व्यक्ति और किशोर लड़की के बीच छिपे हुए रहस्य का संकेत करता है

भरोसेमंद व्यक्तियों को बताने के बावजूद, यदि लड़की की रक्षा करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है (अर्थात् उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति जो उस क्षेत्र में आना जारी रखता है, से सुरक्षा प्रदान नहीं करना या शिकायत दर्ज नहीं किया जाना), तो लड़की को सुझाव दिया जाता है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति को बताएं और तब तक कहे जब तक किसी को विश्वास नहीं हो जाता। वे 1098 – चाइल्ड लाइन पर भी कॉल कर सकती है और मामले की रिपोर्ट दे सकती हैं। चाइल्ड लाइन एक ऐसी सेवा है जो केवल बच्चों के लिए है। जिस व्यक्ति को ऐसी कॉल्स प्राप्त होती हैं, वह उनकी बात सुनता है, उन्हें बताता है कि आगे क्या करना है। परन्तु, यह समझना आवश्यक है कि यह एक इमजेंसी हेल्प लाइन है न कि कार्रवाई करने के लिए आरंभिक लाइन।

“गलत” या “असुरक्षित” स्पर्श में सिर या पीठ पर अचानक परन्तु अनावश्यक थपकी देना भी शामिल है और यह केवल निजी अंगों तक ही सीमित नहीं है। ऐसे मामलों में, किशोर लड़कियों को पुन: सुझाव दिया जाता है कि वे तीन उपायों अर्थात् “मन करना, उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति से दूर चले जाना और उस घटना की जानकारी ऐसे निकट लोगों को देना जिसपर उसे विश्वास हो, का पालन करना चाहिए।

यौन अपराधों से बच्चों की रक्षा अधिनियम, 2012

- बच्चे : इस अधिनियम के अंतर्गत किसी बच्चे की परिभाषा है 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा ।

अपराधों का सारांश			
अपराध	**अपराधी की किस्म**	**कार्रवाई की किस्म**	**दण्ड**
पेनीट्रेशन यौन उत्पीड़न	कोई भी व्यक्ति	किसी भी प्रकार का पेनीट्रेशन या बच्चे को अपराधी या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पेनीट्रेशन के लिए दबाव देना	7 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना
एग्रिवेटिड पेनीट्रेशन यौन उत्पीड़न	पुलिस अधिकारी; सशस्त्र बल; बच्चे् को सेवा मुहैया कराने वाले धार्मिक संस्थानों के प्रबंधक या कर्मचारी; सरकारी सेवाएं	गैंग पेनीट्रेशन एचआईवी होना; गर्भवती होना; शारीरिक या मानसिक अशक्तहता का लाभ उठाना	10 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना
यौन उत्पीड़न	कोई भी व्यक्ति	यौन उत्पीड़न में वे सभी कार्य आते हैं जो यौन क्रिया के इरादे से लिंग प्रवेश किए बिना किए जाते हैं	3-4 वर्ष का कारावास और जुर्माना
एग्रिवेटिड यौन उत्पीड़न	एग्रिवेटिड पेनीट्रेशन यौन उत्पीड़न के समान	एग्रिवेटिड पेनीट्रेशन यौन उत्पीड़न के समान	5-7 वर्ष का कारावास और जुर्माना
यौन उत्पीड़न	कोई व्यक्ति	जब कोई व्यक्ति यौन-क्रिया के इरादे से निम्नलिखित कार्य करता है तो वह यौन उत्पीड़न होता है: यौन-क्रिया के संकेत के साथ कोई कार्य करता है; किसी बच्चे से अंग प्रदर्शन कराता है; बच्चे को अश्लील साहित्य दिखाता है; बार-बार दोहराता है	3 वर्ष का कारावास और जुर्माना
अश्लील विडियो दिखाने के लिए बच्चे का प्रयोग करना	कोई भी व्यक्ति	किसी बच्चे के यौनांग को दिखाना; वास्तविक या नकली यौन-क्रिया में संलिप्त बच्चे का प्रयोग करना (लिंग प्रवेश करके या प्रवेश किए बिना); जब किसी बच्चे को अश्लील या घिनौने तरीके से प्रस्तुत किया जाए	पहले अपराध के लिए : 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माना ; दूसरे या उसके बाद के अपराधों के लिए : 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना
बाल अश्लील कार्य में सीधे शामिल होना	कोई भी व्यक्ति	यौन उत्पीड़न; लिंग प्रवेश करके यौन उत्पीड़न; यौन उत्पीड़न; एग्रिवेटिड अपराध	किए गए अपराध के आधार पर आजीवन तक कारावास और जुर्माना
बाल अश्लील साहित्य इकट्ठा करना	कोई भी व्यक्ति	व्यावसायिक उद्देश्य से इकट्ठा करना	3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना
उकसाना	कोई भी व्यक्ति	उस अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है; उस अपराध को करने के लिए कोई षड्यंत्र रचने में एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों के साथ शामिल होना; उस अपराध को करने में किसी कार्य द्वारा या गैरकानूनी ढंग से जानबूझकर मदद करता है	किसी अधिनियम से भटकाने का अर्थ है उस अधिनियम के लिए दण्ड
प्रयास किया गया अपराध		इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध करने का प्रयास करना; इस प्रकार का किए जाने वाले अपराध का कारण बनना; अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करना	किए गए अपराध के लिए सर्वाधिक अवधि का आधा समय तक कारावास, या जुर्माना या दोनों
किसी अपराध की सूचना देने या सूचना दर्ज करने में विफल	कोई व्यक्ति		6 माह तक कारावास और जुर्माना
किसी अपराध की सूचना देने या सूचना दर्ज करने में विफल	किसी संस्थान का प्रभारी		1 वर्ष तक कारावास और जुर्माना
मिडिया का उल्लंघन		बच्चे की पहचान बतलाना या कोई ऐसी जानकारी बतलाना जिससे बच्चे की पहचान का पता लगे	6 माह – 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना
गलत सूचना देना या गलत शिकायत करना	18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति	अपमानित करने, धमकाने, बदनाम करने या जबर्दस्ती वसूल करने के इरादे से गलत सूचना देना या गलत शिकायत करना	1 वर्ष तक कारावास + जुर्माना (यदि वह कोई बच्चा हो तो कोई दण्ड नहीं)

व्यक्तियों और संस्थानों का उत्तरदायित्व

किसको	उत्तरदायित्व
मीडिया	**इस एक्ट के तहत किये गये अपराध का कोई सबूत का रिपोर्ट करना**
सार्वजनिक निकाय	**इस एक्ट के तहत किये गये अपराध का कोई सबूत का रिपोर्ट करना**
सेवा प्रदाता	**इस एक्ट के तहत किये गये अपराध का कोई सबूत का रिपोर्ट करना**
संस्थान	**इस एक्ट के तहत किये गये अपराध का कोई सबूत का रिपोर्ट करना**

व्यक्तियों और संस्थानों का उत्तरदायित्व

- विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) या स्थानीय पुलिस को सूचना देना। पुलिस द्वारा प्रवेश संख्या के साथ लिखित में रिपोर्ट दर्ज करना।
- बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करना यदि आवश्यकता हो तो अनुवादक की व्यवस्था अवश्य करानी चाहिए
- यदि बच्चे को देखभाल या सुरक्षा की आवश्याकता हो तो उसे 24 घंटे के भीतर शेल्टर होम या अस्पताल में अवश्य भर्ती करना चाहिए और फॉरेंसिक जांच के उद्देश्य से इकट्ठा किए गए सैम्पल्स 2 को शीघ्र ही फॉरेंसिक प्रयोगशाला में भेज दिया जाता है।
- आपातकालीन चिकित्सा सेवा इस तरीके से और बच्चे् के माता-पिता या अभिभावक या किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति जिसपर बच्चे को विश्वास और भरोसा हो, की उपस्थिति में दी जाती है ताकि बच्चे की गोपनीयता सुरक्षित रहे।
- बच्चे को आपातकालीन चिकित्सा सेवा मुहैया कराने वाला कोई भी पेशेवर चिकित्सक, अस्पाल या अन्य चिकित्सा सुविधा केन्द्र चिकित्सा सेवा मुहैया कराने के लिए पूर्व अपेक्षित के रूप में कोई कानूनी या आधिकारिक या किसी दूसरे कागजात की मांग नहीं करेगा।
- 24 घंटे के भीतर विशेष न्यायालय में रिपोर्ट करना आवश्यक है
- SJPU या स्थानीय पुलिस जिसे ऐसी सूचना प्राप्त होती है, वह सूचना देने वाले व्यक्ति को तुरंत निम्नलिखित ब्यौरा देगा :
  - » अपना नाम और पदनाम
  - » पता और टेलीफोन नम्बर
  - » उस अधिकारी का नाम, पदनाम और उससे संपर्क करने का ब्यौरा जो सूचना प्राप्त करने वाले अधिकारी का निरिक्षण करता है

विशेष प्रावधान/सिद्धांत

- यदि पीड़ित महिला के चिकित्सीय जांच करने की आवश्यवकता हो तो यह किसी महिला डॉक्टर द्वारा की जानी चाहिए
- बच्चे की सभी चिकित्सीय जांच तुरंत और किसी वकील (बच्चे द्वारा चुना गया या उसकी तरफ से नामित वकील) की उपस्थिति में करना चाहिए
- बच्चे के वकील (बच्चे द्वारा चुना गया या उसकी तरफ से नामित वकील) के साथ बयान लेना चाहिए
- बयान किसी ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा लेना चाहिए जिसने वर्दी न पहनी हो
- विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से बच्चे के परिवार या अभिभावक को उसके पसंद की कानूनी सलाह मुहैया कराना चाहिए
- बच्चे के परिवार या अभिभावक को परामर्श मुहैया कराना और उस व्यक्ति से जो ये सेवाएं और राहत देने के लिए उत्तरदायी है, संपर्क करने में मदद करना
- विशेष न्यायालय उपयुक्त मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद किसी भी स्तर पर राहत या स्वास्थ्य लाभ के लिए बच्चे की तत्का्लिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने आप या बच्चे के द्वारा या उसकी ओर से दायर आवेदन पर अंतरिम क्षतिपूर्ति का आदेश दे सकता है। अंतरिम क्षतिपूर्ति की राशि को अंतिम क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, में समायोजित किया जाएगा।
- विशेष न्यायालय जहां अभियुक्त को सजा सुनाई गई है, या जहां रिहाई या छुटकारे में मामला समाप्त हो गया हो, या अभियुक्त का पता न लग पाया हो या उसकी पहचान न हो पाई हो, और विशेष न्यायालय की राय में उस अपराध के परिणामस्वरूप बच्चे को क्षति या चोट पहुँची हो, स्वयं अथवा पीड़ित द्वारा अथवा उसकी ओर से दायर आवेदन पर क्षतिपूर्ति देने की सिफारिश कर सकता है।

सत्र

8

45 मिनट

सुरक्षित स्थान और असुरक्षित स्थान

आवश्यक सामग्री

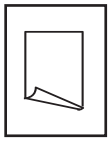

फ्लीप चार्ट पेपर

मार्कर पेन

सादे ए4 आकार के कागज

उद्देश्य :

- किशोर लड़कियों को सुरक्षित और असुरक्षित स्थान की पहचान करने में मदद करना
- असुरक्षित स्थानों को सुरक्षित स्थान बनाने में सामूहिक रूप से काम करने के लिए सहभागियों को प्रोत्साहित करना

सशक्तिकरण का मुख्य केन्द्र : मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक/अतर्व्यैयक्तिक, सामाजिक-सांस्कृतिक

1 क्रियाविधि :

- उद्देश्य के साथ सत्र के विषय की घोषणा करें। अंतिम सत्र में, यौन उत्पीड़न और दुराचार पर रोक लगाने पर चर्चा की गई। इस सत्र में ऐसे अवसरों से बचने के बारे में चर्चा की गई है जिससे दुराचारियों और अपराधियों को अत्याचारपूर्ण अपराध करने के लिए असुरक्षित स्थान के रूप में अवसर मिलता है।
- जैसा कि मुद्दा 4 में दर्शाया गया है, फ्लीप चार्ट पर एक तालिका बनाएं। केवल दूसरे कॉलम – "स्थान सुरक्षित है या असुरक्षित" के लिए सहभागियों से उत्तर प्राप्त करें। आप सहभागियों से प्राप्त उत्तर के आधार पर अधिक स्थान ले सकते हैं।

» उसके बाद, सहभागियों को 5-6 के समूह में बाँट दें और प्रत्येक समूह को एक स्थान निर्धारित करें। उन्हें अपने समूहों में चर्चा करने और सभी लड़कियों के रहने या यात्रा करने/घुमने के लिए नियत स्थान को सुरक्षित बनाने के तरीके सोचकर आने के लिए कहें। यह सुनिश्चित करने के लिए चक्कर लगाएं कि वे दिए गए कार्य को समझते हैं और ज़रुरत होने पर ही निर्देश दें।

» 10-15 मिनट के बाद, समूहों को अपने विचार पेश करने के लिए बुलाएं और प्रत्येक स्थान के सामने तीसरे और अंतिम कॉलम के अंतर्गत उनके उत्तर दर्ज करते रहें। नाटक के रूप में कुछ सुझाव नीचे दिए गए हैं:

स्थान	आपके लिए वे स्थान सुरक्षित है या असुरक्षित	उन्हें सुरक्षित बनाने के उपाय
घर	सुरक्षित/और अधिक सुरक्षित हो सकता है	प्रत्येक घर में मकान के शौचालयों में सिटकनी वाले दरवाजे
स्कूल जाना और वापस आना	असुरक्षित	एक साथ जाना, स्कूल ले जाने वाली बस के बारे में पिता से बात करना और सरकारी योजनाओं जिसमें लड़कियों को मुफ्त साइकिलें दी जाती हैं, का लाभ उठाना।
विद्यालय	असुरक्षित	घूरने वाले खेल प्रशिक्षक के बारे में प्रधानाचार्य महोदया को सूचित करना। कक्षा शिक्षक से अनुरोध करना कि वे लड़कों से पहले लड़कियों को कक्षा से बाहर निकलने की अनुमति दें।
बाजार/ दुकानें	असुरक्षित	पान की दुकान पर खड़ा होकर या बैठकर हमें घुरने और टिप्पणी करने के बारे में सरपंच अंकल को बताना
पड़ोस	असुरक्षित	सरपंच अंकल से सौर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए बात करना
समुदाय भवन		
खेलने का स्थान		
त्यौहार/ समरोह		
डॉक्टर के पास जाना		

2 चर्चा के लिए प्रश्न :

- असुरक्षित स्थान किस प्रकार लड़कियों/महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार एवं अवसर का लाभ उठाने को सीमित कर देते हैं?
- क्या महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान बनाना केवल कानून एवं व्यवस्था का मामला है? लड़कियों के लिए सुरक्षित स्थान बनाने के लिए अतिरिक्त उपाय के रूप में क्या किया जा सकता है?

3 अनुदेशक के लिए नोट :

विश्वभर में – शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और लड़कियों के यौन उत्पीड़न और दूसरे प्रकार के यौन हिंसा की घटनाएं प्रतिदिन होती हैं। महिलाएं और लड़कियां सार्वजनिक स्थानों पर बलात्कार और हत्या सहित यौन उत्पीड़न से लेकर यौन आक्रमण तक विभिन्न प्रकार की यौन हिंसा का शिकार होती हैं और यौन हिंसा से डरती हैं। ये घटनाएं गलियों में, सार्वजनिक वाहनों और पार्कों में, विद्यालयों और कार्यस्थलों में और उसके आस-पास, सार्वजनिक शौचालय सुविधाओं में और जल एवं भोजन वितरण स्थलों पर, या अपने पड़ोस में घटित होती हैं।

इस वास्तविकता से महिलाओं और लड़कियों के चलने-फिरने की स्वतंत्रता सीमित होती है। इससे विद्यालय, कार्य ओर सार्वजनिक जीवन में उनकी भाग लेने की क्षमता घटती है। इससे आवश्यक सेवाओं, और सांस्कृतिक एवं मनोरंजन के अवसरों तक उनकी पहुँच सीमित होती है। इसका उनके स्वास्थ्य एवं कुशलता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

“महिलाओं के खिलाफ हिंसा”, विशेषकर सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न मुख्य समस्या है, फिर भी इसे रोकने और इसका समाधान करने के लिए कुछ कानूनों एवं नीतियों को यदि छोड़ दिया जाए तो यह एक ऐसा विषय है जिसपर ध्यान नहीं दिया जाता।

महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून एवं व्यवस्था का विषय नहीं है। पुलिस को और अधिक सचेत रहने के लिए संवेदनशील बनाने और होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए तत्पर बनाने और महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली असुरक्षित माहौल के लिए सचेत बनाने की भी आवश्यकता है। लोगों की नज़रिए में भी बदलाव लाने की जरूरत है। लोग रोज सार्वजनिक स्थानों पर महिला उत्पीड़न के खिलाफ खड़ा नहीं होते हैं। यदि हम लड़कियों को सशक्त करना चाहते हैं, तो हमें माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़की की एजेंसी का निर्माण करने और उस तक सबकी पहुँच की आवश्यकता होगी।

मॉड्यूल III: शादी का अर्थ समझना

सत्र

9

45 मिनट

शादीशुदा महिला के अधिकार एवं उसकी जिम्मेदारियाँ

आवश्यक सामग्री

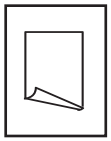

फ्लीप चार्ट पेपर

मार्कर पेन

उद्देश्य :

- स्पष्ट शब्दों में शादी के निहितार्थ को समझने में किशोर लड़कियों की मदद करना
- शादी के संबंध में किशोर लड़कियों के निर्णय लेने की क्षमता में सुधार लाना

सशक्तिकरण का मुख्य केन्द्र : मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक/अंतर्वैयक्तिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक

1 क्रियाविधि :

- उद्देश्य् के साथ सत्र के विषय की घोषणा करें।
- एक फ्लीप चार्ट पर “शादी” शब्द लिखें और उसे तेज आवाज में पढ़ें। किशोर लड़कियों से कहें कि “शादी” शब्द पढ़ने और सुनने पर उनके दिमाग में अचानक क्या आता है। वह किसी भावना – खुशी, परेशानी या डर से भी संबंधित हो सकता है।
- उनके उत्तर फ्लीप चार्ट पर दो भागों में लिखें, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है और उसका सारांश तैयार करते हुए अंत में विचारों को एक साथ जोड़ें। कुछ प्रत्याशित उत्तर नीचे दिए गए हैं:

शादी के अपेक्षित सकारात्मक/ आनंदायक पहलु	शादी के संभावित नकारात्मक पहलु
एक परिवार	प्रियजनों और बचपन के दोस्तों से दूर किसी अनजान स्थान पर चले जाना
एक आशाजनक भविष्य – घर, बच्चे आदि	शिक्षा का छुट जाना
नए लोगों से मिलना और नए संबंध बनाना	निम्न आर्थिक स्थिति और कोई जीविका न होने की संभावना
	बच्चों और परिवार की देखभाल करने में कठिनाई
	लड़की और उसके बच्चे दोनों का कुपोषण
	लड़की को दहेज की मांग के साथ-साथ हिंसा का सामना
	पति को एचआईवी होने और लड़की को उसके लिए दोषी ठहराने की संभावना
	स्वास्थ्य की खराब स्थिति – जल्दी या बार-बार गर्भधारण
	ससुराल से निकाल दिए जाने पर आश्रय का छीन जाना और माता-पिता के घर में आश्रय न मिलना
	यौन शोषण/उत्पीड़न और हिंसा की संभावना
	अपने शरीर और प्रजनन स्वास्थ्य पर नियंत्रण न होना

- सहभागियों को स्पष्ट करें कि शादी के संबंध में उन्हें डराना आपका उद्देश्य नहीं है बल्कि उन्हें इसके लिए तैयार करना है। उन्हें शादी की संभावित कठिनाइयों के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि वे अपना जीवन साथी सावधानीपूर्वक और सही समय पर चुन सकें। यह प्रयोग उन्हें जल्दी शादी करने के लिए दबाव देने पर अपने माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत करते समय बेहतर तरीके से तर्क-वितर्क करने में भी सहायक होगा।
- शादी की परिभाषा इस प्रकार बताएं – "एक पुरुष और एक महिला का विधिवत मिलन, विशेष रूप से कानून द्वारा स्वीकृत, जिसके द्वारा वे पति और पत्नी के रूप में समान सहयोगी बन जाते हैं"। "समान" शब्द पर जोर दें और सहभागियों से पूछें कि वे इससे क्या समझते हैं।
- दोनों शादीशुदा साथियों की बराबर स्थिति से संबंधित सर्वाधिक उचित पहलुओं पर विचार-विमर्श करें। उपयुक्त उदाहरण, जैसे कॉलेज में पढ़ाई करती हुई शादीशुदा महिलाएं, एक ही तरह का खाना खाती हुई, गर्भनिरोधक का प्रयोग करती हुई महिलाएं आदि से उनकी मदद करें।
  - » शिक्षा एवं जीविका के समान अवसर,
  - » स्वास्थ्य सुविधाओं और पोषण की समान उपलब्धता,
  - » घरेलू मामलों जैसे, बच्चों को जन्म देना, घरेलू खर्चे आदि में आपसी निर्णय लेना,
  - » घरेलू और यौन अत्याचार सहित सभी प्रकार के हिंसा से समान सुरक्षा
  - » घरेलू कार्यों और उत्तरदायित्वों में समान भागीदारी
- उपर्युक्त अंतिम बिन्दु को विस्तार से स्पष्ट करने के लिए एक चार्ट पेपर पर निम्नलिखित तालिका प्रारूप बताएं और प्रत्येक पँक्ति के लिए सहभागियों से जवाब मांगे। उन्हें दिन के अलग-अलग समय के दौरान पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किए गए मुख्य कार्यों का उल्लेख करना चाहिए।
- कुछ प्रत्याशित उत्तर नीचे दिए गए हैं:

	पुरुषों द्वारा किए गए कार्य	महिलाओं द्वारा किए गए कार्य
बहुत सवेरे	सोना, समाचारपत्र पढ़ना, चाय पीना, काम पर जाने के लिए तैयार होना	खाना पकाना, पति और बच्चों को काम पर और स्कूल जाने के लिए तैयार करना
सुबह	काम पर या नौकरी के लिए जाना	छोटे बच्चों/शिशुओं, परिवार के बुजुर्ग सदस्य की देखभाल करना, घर की सफाई करना, काम पर जाना
दोपहर	सोना या काम पर होना	काम पर होना, बच्चों को पढ़ाना, कपड़े धोना और साफ करना
शाम/देर रात	दोस्तों और पड़ोसियों से बातचीत करना, चाय या शराब पीना, टेलीविजन देखना	खाना बनाना, बिस्तर लगाना, अगले दिन की तैयारी करना

चर्चा के लिए प्रश्न :

- क्या महिलाओं और पुरुषों द्वारा किए गए दैनिक कार्यों के बीच कोई अंतर है? यदि हां, तो मुख्य अंतर क्या है?
- क्या सभी दैनिक कार्य पत्नी और पति दोनों द्वारा किए जा सकते हैं?
- क्या आप सोचते हैं कि आप वे सभी कार्य करना आरंभ करेंगे जिसे परिवार में आपकी मां करती हैं?
- क्या आप समझते हैं कि आप सभी कार्य करने और जिम्मेदारियाँ लेने के लिए तैयार हैं?
- क्या आप समझते हैं कि किसी शादी में महिलाओं और पुरुषों की भूमिका में बदलाव होना चाहिए? क्यों? कैसे?

3 अनुदेशक के लिए नोट्स :

समाज शादी के बाद महिलाओं और पुरुषों से निर्धारित कार्य करने और निर्धारित जिम्मेदारियाँ संभालने की अपेक्षा करता है। और, हम करना आरंभ कर देते हैं। यदि हम सावधानीपूर्वक देखें तो हम पाएंगे कि सभी पारिवारिक और घरेलू कार्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किए जा सकते हैं (बच्चों को जन्म देना छोड़कर – जिसे केवल महिलाएं ही कर सकती हैं)।

सामान्यत:, महिलाएं तीन किस्म के कार्य करती हैं :

- प्रजनन (परिवार के भीतर परिवार के सदस्यों, बच्चों, स्वास्थ्य सेवाओं की देखभाल)
- उत्पादन (घर के बाहर पैसा कमाना या पारिवारिक व्यवसाय/व्यापार करना)
- अवकाश और समुदाय (अतिथियों, त्यौहारों और अब पीआरआई का भी ध्यान रखना)

परन्तु, पुरुष केवल दो प्रकार के काम करते हैं, अर्थात् उत्पादक (उपार्जन) और सामुदायिक (घर के बाहर समाज के साथ बातचीत करना)। इस प्रकार, महिलाओं पर काम का तिहरा बोझ होता है। यद्यपि महिलाएं अधिक आर्थिक उत्तरदायित्व संभालती हैं, फिर भी पुरुष घरेलू कार्य का अपना हिस्सा ही पूरा करते हैं। पुरुषों को भी बच्चे पालने (छोटे बच्चों की देखभाल करना, नैपकिन बदलना, पोशाक बदलना, स्कूल का होमवर्क पूरा कराना, बीमार बच्चों की देखभाल करना, उनका भावनात्मक सहारा बनना, उनसे उनकी रूचि, क्रियाकलाप, अभिलाषा के बारे में बात करना आदि) में योगदान करने की आवश्यकता है।

कार्यों में सहयोग करने से पति और पत्नी को एक दूसरे के और अधिक निकट लाते हैं। इसे वास्तविक भागीदारी कहा जा सकता है। उन परिवारों के बच्चे जहां माता एवं पिता दोनों उन्हें आगे बढ़ाने में समान रूप से उत्तरदायित्व निभाते हैं, उनमें अधिक आत्मविश्वास होता है, वे अधिक सामाजिक होते हैं और विभिन्न प्रकार के चुनौतियों का समाना करने में अधिक सक्षम होते हैं।

सत्र

10

90 मिनट

बाल-विवाह : मानवाधिकारों का हनन

आवश्यक सामग्री

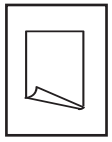

चार्ट पेपर

मार्कर पेन

संलग्नक - संलग्नक 1 : मानवाधिकारों का विश्वाव्यापी घोषणा (केवल अनुदेशक के संदर्भ के लिए)

संलग्नक - संलग्नक 3 : बाल विवाह में मानवाधिकारों का उल्लंघन की प्रति से सुव्यवस्थित ढंग से फाड़े गए कागज के चार टूकड़े

सूचना बुकलेट की प्रतियां (बाल विवाह व्यवधान टूल-किट में प्रोडक्ट 3बी)

उद्देश्य :

- किशोर लड़कियों की मदद करने के लिए उनके उन मानवाधिकारों की सूची बनाना जिनका बाल विवाह के माध्यम से उल्लंघन होता है
- सहभागियों को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (PCMA) के अंतर्गत आने वाले प्रावधानों की पहचान करना

सशक्तिकरण के लिए मुख्य केन्द्र : मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक/अंतर्वैयक्तिक, सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक

1 क्रियाविधि :

- उद्देश्य के साथ सत्र के विषय की घोषणा करें
- संलग्नक - संलग्नक 1 : मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को व्यापक रूप से समझाते समय सत्र 3 : किशोर लड़कियों के अधिकार और सुविधाएं से प्राप्त महत्वपूर्ण शिक्षाओं को तेजी से पुन: दोहराएं
- उसके बाद, वर्तमान सत्र के उद्देश्य, जो बाल विवाह के परिणामस्वरूप मानवाधिकारों के उल्लंघन पर विचार करने का एक प्रयास करें
- अब, सहभागियों को चार समूहों में बाँटें। संलग्नक - संलग्नक 3 : बाल विवाह में मानवाधिकारों का उल्लंघन की एक प्रति से व्यवस्थित ढंग से फाड़े गए पर्चियों की सहायता से प्रत्येक समूह को एक केस स्टडी सौंपे

- अपने समूह में नीचे दी गई कहानी से दो प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करने के लिए कहें। उन्हें 20 मिनट दें। यदि आवश्यकता हो, तो वे लिखित नोट बना सकती हैं।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे दिए गए कार्य को समझ गए हैं, प्रत्येक समूह में जाएँ। इसके अलावा, चुप रहने वाले सहभागियों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना
- उसके बाद, प्रत्येक समूह को आगे आने और प्रत्येक केस स्टडी के अंतर्गत दोनों प्रश्नों पर अपने विचार और दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए कहें
- उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों को नीचे दिए गए अनुसार चार विभिन्न कोटियों में दर्ज करते रहें। यहां कुछ अपेक्षित सामान्य मुद्दे भी दिए गए हैं। आप उस सूची में आवश्यकता के अनुसार और जोड़ सकते हैं।
- चारों प्रस्तुत्तियों के पूरे हो जाने के बाद, समूहों को उन्हें भाग लेने के लिए धन्यवाद दें और बाल विवाह के कारण उत्पन्न अधिकार उल्लंघन की चार कोटियों के अंतर्गत उनके प्रत्युत्तर का संक्षिप्त विवरण तैयार करें।

शिक्षा और बाल विवाह	स्वास्थ्य और बाल विवाह	हिंसा और बाल विवाह	पसंद का अधिकार एवं बाल विवाह
वे अधिकार जिनका उल्लंघन हुआ			
शिक्षा का अधिकार	शिक्षा का अधिकार	शिक्षा का अधिकार	शिक्षा का अधिकार
रोजगार प्राप्त करने का अधिकार	पार्टनर के चुनाव का अधिकार	अपनी बेटियों को सुरक्षा/संरक्षा देने का माता-पिता के अधिकार	उन सिद्धांतों का अधिकार जो बच्चों को यह शिक्षा देते हैं कि वे अपनी शिक्षा का किस प्रकार उपयोग करें
प्रजनन और यौन स्वास्थ्य के विकल्प का अधिकार	प्रजनन के विकल्पों का अधिकार	प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य चुनने का अधिकार	निर्णय लेने का अधिकार – जैसा कि लड़कियों को किसी अजनबी से विवाह करने के लिए दबाव दिया जाता है
	पोषण और देखभाल का अधिकार	दहेज मांग का विरोध करने का अधिकार	
	स्वास्थ्य और उपचार एवं देखभाल प्राप्त करने का अधिकार		
	आर्थिक सुरक्षा का अधिकार		
	घर से बाहर काम करने और/या धनोपार्जन का अधिकार		
प्रभाव			
शिक्षा बन्द कर देना	पति के एचआईवी का शिकार होने के बावजूद लड़की को उसके लिए दोषी ठहराना	शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक यौन उत्पीड़न /अत्याचार	शिक्षा का बन्द हो जाना
खराब आर्थिक स्थिति	खराब स्वास्थ्य	यदि जबरदस्ती, दबाव हो और यौन संबंध के लिए विवाहित जोड़े में कोई सहमति न हो तो उसे वैवाहिक बलात्कार कहा जाता है	कोई कौशल प्राप्त न होना
बच्चों एवं परिवार की देखभाल करने में कठिनाई	लड़की के हाथ में कोई संसाधन न होना		संसाधनों पर सीमित पहुँच
लड़की और उसके बच्चों दोनों का कुपोषण	ससुराल से बाहर निकाल दिए जाने पर आश्रय का छिन जाना और माता-पिता के घर में भी आश्रय न मिलना		हिंसा होने की संभावना
लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा			अपने शरीर और प्रजनन स्वास्थ्य पर नियंत्रण न होना
मां द्वारा अपने बच्चों पर होने वाले अत्याचार का सामना			कृत्रिम गरीबी चक्र में फँस जाना
अधूरी शिक्षा के कारण जीविकोपार्जन के बहुत कम अधिकार			
निसहायता में वृद्धि			

- दूसरे मामले – “पसंद/निर्णय लेने और बाल विवाह : प्रतीम और रमा” के अधिकार के अंतर्गत “भागने” के मामले को चिह्नित करें। अक्सर, माता-पिता और समुदाय के सदस्य अंतर्जातीय विवाह की स्वीकृति नहीं देते हैं और इस प्रकार की शादी करने के इच्छुक बालिग/नाबालिग जोड़े उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए भाग जाते हैं। अपने परिवार में इस प्रकार की घटना होने से बचने के प्रयास में अशिक्षित माता-पिता अपने बच्चों की शादी बचपन में ही कर देते हैं। प्रौद्योगिकी और लड़कियों के घुमने-फिरने को किशोर बच्चों को “बर्बाद होने” के लिए दोषी ठहराया जाता है परन्तु, मामला फोन या प्रौद्योगिकी का नहीं है बल्कि इसके बजाय युवा लोग इसका प्रयोग गलत निर्णय लेने के लिए करते हैं और इससे उनके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- “बाल विवाह का विरोध करने और उससे संबंधित प्रश्नों पर विचार-विमर्श करने के लिए कानून एवं नीतिगत सहायता” पर सूचना पुस्तिका (बाल विवाह व्यवधान टूल-किट में 3बी उत्पाद) की प्रतियां वितरित करें।
- पीसीएमए कानून का वर्णन करना – बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए), 2006 बाल विवाह का निषेध करता है और उसके उल्लंघन के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत, कोई भी विवाह जहां लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम हो, बाल विवाह माना जाता है। इस अधिनियम के अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में शामिल हैं:
  - कानून का किसी प्रकार से उल्लंघन करना गैर-जमानती अपराध है
  - इस कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति (वर और वधु दोनों पक्ष शामिल हैं) या कोई दूसरा व्यक्ति जो शादी करने की व्यवस्था में मदद करता है, को 1,00,000 रुपए तक जुर्माना या/और दो वर्ष तक कठोर कारावास का प्रावधान है।
- बाल विवाह निषेध अधिकारियों के पास इस प्रकार की शादी को रोकने और आवश्यक कानूनी कदम उठाने का अधिकार है।

2 चर्चा के लिए प्रश्न:

- पीसीएमए द्वारा प्रदत्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत किन सभी लोगों को दण्ड दिया जा सकता है?
- पीसीएमए के अंतर्गत जबरदस्ती /जल्दी/बाल विवाह को किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है?
- बाल विवाह के मामले की सूचना देने या उसे रोकने के लिए कौन सहायता कर सकता है, या किससे संपर्क किया जा सकता है?
- विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं कौन हैं जो बाल विवाह को रोकने में मदद करती हैं?

3 अनुदेशक के लिए नोट:

- मामले के अध्ययन से संबंधित प्रस्तुतियों और उसके उपरांत विचार-विमर्श से अनेक मामले और तर्क सामने आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम वैवाहिक बलात्कार और सहारे की कमी पर मत सुन सकते हैं। हम इस संबंध में कहानियां सुन सकते हैं कि माता-पिता किस प्रकार सहायक प्रणाली के रूप में काम नहीं करते हैं और अपनी लड़कियों को सुरक्षा और सहायता देने के बजाय उन्हें पीड़ित होने के लिए छोड़ देते हैं। आप मोबाइल फोन और प्रौद्योगिकी पर “बिगड़ती” लड़कियां के दोषारोपण की बात सुन सकते हैं और उन्हें बच निकलने या भाग जाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। मामला केवल फोन या प्रौद्योगिकी का नहीं है बल्कि इसके विपरीत युवा लोग इसका प्रयोग अशिक्षित निर्णय लेने के लिए प्रयोग करते हैं और इससे उनके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- बाल विवाह की मौन स्वीकृति होती है, इस तथ्य पर चर्चा करने की आवश्यकता है। वैवाहिक बलात्कार की स्थिति में कोई स्पष्ट कानून मौजूद नहीं है, परन्तु बाल विवाह के मामले में कानून मौजूद है। फिर भी, इसी से लड़कियों को सुरक्षा या रक्षा मुहैया नहीं होती है। इस मामले में समाज की भूमिका और महिलाओं का महत्वपूर्ण है।

निम्नालिखित कुछ अथवा सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए याद रखें:

- बाल विवाह किसी के मानवाधिकारों का हनन करने का कार्य है।
- बाल विवाह लड़कियों की शिक्षा के अधिकार को सीमित करता है और शिक्षा का अधिकार यूडीएचआर के उपखण्ड 26 में उल्लिखित एक अनिवार्य मानवाधिकार है।
- माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण बाल विवाह को विलंब करने में महत्वपूर्ण है। सबसे गरीब समुदायों से संबंधित लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल बहुत महत्वपूर्ण है।
- बाल विवाह लड़कियों के स्वास्थ्य के अधिकार जो एक मौलिक अधिकार है, को कम करता है और इसका उल्लेख यूडीएचआर के अनुच्छेद 25 का किया गया है।
- यूडीएचआर का अनुच्छेद 23 अर्थात् रोजगार का अधिकार और अनुच्छेद 22 अर्थात् सामाजिक सुरक्षा का अधिकार भी बाल विवाह द्वारा बाधित होते हैं।
- यूडीएचआर का अनुच्छेद 16 “स्वतंत्र और पूर्ण सहमति” से शादी का अधिकार भी बाल विवाह की गतिविधियों से बाधित हो रहा है क्योंकि किसी नाबालिग लड़की/लडके में शादी से संबंधित समस्याओं/उत्तरदायित्वों को समझने के लिए परिपक्वता की कमी होती है। जैसाकि मानवाधिकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अत: यह अनिवार्य है कि बाल विवाह से न केवल उपर्युक्त अधिकारों का उल्लंघन होता है, बल्कि मानव के अन्य अधिकारों का भी उल्लंघन होता है।
- भारत ने 10 दिसम्बर, 1948 को महासभा में यूडीएचआर के पक्ष में मतदान किया था। अत:, भारतीय के रूप में हम सभी को यूडीएचआर में घोषित सभी मानवाधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार है।

सत्र

11

45 मिनट

बाल-विवाह में घरेलू हिंसा का सामना करना

आवश्यक सामग्री

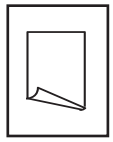

फ्लिप चार्ट पेपर

मार्कर पेन

संलग्नक - संलग्नक 4 : बाल विवाह में घरेलू हिंसा से निपटना की प्रतियां

उद्देश्य :

- किशोरियों को घरेलू हिंसा की स्थितियों की पहचान करने और उनका सामना करने के लिए प्रोत्साहित करना
- सामाजिक लिंग, सत्ता और हिंसा के बीच के संबंधों का पता लगाना
- घरेलू हिंसा के खिलाफ महिला संरक्षण अधिनियम 2005 (PWDVA) की मुख्य विशेषताओं की पहचान करने में सहभागियों की सहायता करना

सशक्तिकरण का केन्द्र: मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक/पारस्परिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक

1 क्रियाविधि :

- उद्देश्य के साथ सत्र की घोषणा करें।
- इस सत्र को सत्र संख्या 6, जो यौन हिंसा के बारे में है, से जोड़ें और स्पष्ट करें कि किशोरियों को न केवल सामाजिक लिंग आधारित हिंसा/यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है बल्कि उन्हें घर में भी 'घरेलू हिंसा' का शिकार होना पड़ता है। यह सत्र पूरी तरह से घरेलू हिंसा पर आधारित है जो बाल विवाह पर विशेष रूप केन्द्रित है।
- संलग्नक - संलग्नक 4 : बाल विवाह में घरेलू हिंसा से निपटना की प्रतियां सभी सहभागियों को दें।

- अब, सहभागियों को 5-6 के समूहों में बांट दें और उन्हें मिलकर कहानी को पढ़ने और फिर समूह के अंदर उसके नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहें। इसके लिए उन्हें 20 मिनट दें। अगर आवश्यक हों तो वे लिख कर नोट भी बना सकते हैं।
- हर समूह के पास जाएं और सुनिश्चित करें कि उन्हें काम समझ आ गया है। चुप रहने वाले सहभागियों को चर्चा के दौरान बोलने के लिए प्रेरित भी करें।
- इसके बाद, प्रत्येक समूह जाकर प्रत्येक केस स्टडी के दोनों प्रश्नों पर अपने विचार और राय के बारे में बातएं।
- सभी समूहों द्वारा अपनी-अपनी बात रखने के बाद, उनकी भागीदारी और मसले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए उनका धन्यवाद करें।

2 चर्चा के लिए प्रश्न :

- प्रसाद घर में मारपीट क्यों करता था? कौन सी परिस्थितियों के कारण वो नीना को पीटता था?
- घरेलू हिंसा का उनके सात साल के बेटे राघव पर क्या प्रभाव पड़ा, जो परिवार में उनकी हिंसक करतूतों को देखता था?
- घरेलू हिंसा का सबसे ज्यादा प्रचलित औचित्य कौन से हैं? क्या नीना के प्रति प्रसाद का हिंसक व्यवहार उचित ठहराया जा सकता है?
- लोग विशेषकर पुरुष घरेलू हिंसा को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं?
- महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा से निपटने के लिए कानून में कौन-कौन से प्रावधान किए गए हैं?
- घरेलू हिंसा को बर्दाश्त करने के प्रति उनके दृष्टिकोण को तय करने के लिए लड़कियों के जीवन में उनके अपने घर और माता-पिता की क्या भूमिका है? लड़कियां और महिलाएं घर पर मौलिक अधिकारों को कैसे बढ़ावा दे सकती हैं?
- क्या- आप किसी ऐसे संगठन के बारे में जानते हैं जो हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद करता है?
- महिलाओं के प्रति हिंसा की समस्या का समाधान करने के लिए क्या कानूनी प्रावधान हैं?

3 अनुदेशक का नोट :

- घरेलू हिंसा क्या है?
- परिवार में या रिश्तेदारी में शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक या वित्तीय उल्लंघन को घरेलू हिंसा कहते हैं। इसमें शामिल है:
  - » भावनात्मगक उत्पीड़न, अपमान, उपहास, मौखिक उत्पीड़न, अलगाव या आने-जाने पर प्रतिबंध
  - » शारीरिक हिंसा
  - » यौन संबंधी अपमानजनक आचरण
  - » आर्थिक अभाव
  - » दहेज की गैरकानूनी मांग के कारण उत्पीड़न

उत्पीड़न करने वाला जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। वे पुरुष या महिला हो सकती हैं, मगर आंकड़े बताते हैं कि इस तरह के अपराधियों में पुरुषों की संख्या अधिक है। उत्पीड़क इसके लिए जिम्मेदार है और घरेलू हिंसा के लिए कोई बहाना नहीं चल सकता। प्रचलित धारणा के विपरीत घरेलू हिंसा तनाव, मानसिक रोग, शराब और ड्रग्स के कारण नहीं होती है, हालांकि ये जोखिम कारक हो सकते हैं। घरेलू हिंसा का एकमात्र कारण उत्पीड़क की जानबूझ कर इस कृत्या को करने का चुनाव है। हिंसा का शिकार/उत्तरजीवी कभी भी उत्पीड़क के कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। 'साथी को दोष देना' उसी तरह है जैसे उत्पीड़क अक्सर अपने हिंसक आचरण को उचित ठहराता है। यह परंपरा का हिस्सा है और यह अपने आप में अपमानजक है। महिलाएं अक्सर हिंसा के लिए खुद को दोषी मानती हैं और इसलिए उनको यह बताना जरूरी है कि हिंसा के लिए वे बिल्कुल दोषी नहीं हैं।

व्यक्तिगत स्तर पर, पुरुष अपनी युवावस्था के दौरान हिंसा का गवाह भी रहा हो सकता है, परिवार के अंदर उसका उत्पीड़न हुआ हो या उसके सामने ऐसा हुआ हो, ऐसी संभावना हो सकती है। इस तरह की सामाजिक परिस्थितियां व्यक्ति की छवि को प्रभावित करती हैं। उन्हें लग सकता है कि उन्हें हिंसक होने के लिए सामाजिक रूप से सहमति मिली हुई है क्योंकि वे अपने आसपास इसको देख रहे हैं। जो बच्चा अपने घर में घरेलू हिंसा होते हुए देखता है वो भावनात्मक और आचरण संबंधी समस्याओं से गुजरता है, उसमें आत्मविश्वास कम होता है, बुरे सपने आते हैं, साथियों और परिवार के सदस्यों के प्रति आक्रामक होता है। जो लड़के अपने माता-पिता को घरेलू हिंसा करते हुए देखते हैं, ऐसे बच्चों द्वारा गैर-हिंसक माता-पिता के बच्चों के मुकाबले अपनी पत्नियों से हिंसा करने की संभावना अधिक होती है। हिंसा करने वाले अधिकांश माता-पिता के लड़कों के पत्नी को पीटने वाले पति बनने की संभावना होती है। किशोर, जो घरेलू हिंसा के शिकार हो चुके होते हैं, वे खुद को इतना अधिक अंतर्सिक्त कर लेते हैं कि उन्हें खुद को सामाजिक व्यवहार में अधिक सकारात्मक तरीके से शामिल करने में दिक्कत होती है।

दूसरी ओर, परंपरा भी पुरुषों को ये कार्यवाही करने की अनुमति देती है; वे अपने आसपास हो रही हिंसा का जवाब अधिक तेजी से और निश्चित तरीके से दे सकते हैं।

घरेलू हिंसा को समाप्त करने में सहायता देने में मुख्य भूमिका निभाने में पुरुषों और लड़कों की भागीदारी को रेखांकित करने वाले कुछेक कारण निम्नानुसार हैं:

- क्योंकि पुरुष हिंसा रोक सकता है: घरेलू हिंसा रोकने के लिए पुरुष, जो हिंसा करते हैं, उन्हें भित्र चुनाव के लिए समर्थ बनाया जाना चाहिए। अगर पुरुष हिंसा के खिलाफ महिला के साथ अपनी आवाज बुलंद करता है तो दुनिया हम सभी के लिए अधिक सुरक्षित बन जाती है।
- क्योंकि पुरुष ही पुरुष की सुनता है: एक पुरुष की दूसरे पुरुष द्वारा अधिक सुनने की संभावना होती है इसलिए पुरुष दुसरे पुरुष को महिलाओं का सम्मान करने के बारे में समझा सकता है।
- क्योंकि घरेलू हिंसा महिलाओं का मुद्दा नहीं है: परिवार में होने वाली हिंसा सभी को प्रभावित करती है और यह कामुक व्यवहार और आचरण

से उपजती है। हिंसा रोकने के लिए पुरुषों और महिलाओं, दोनों को सांस्कृतिक मापदंडों में बदलाव लाने के लिए उल्लंघन करने वालों को जवाबदेह बनाने की दिशा में काम करना चाहिए।

- क्योंकि पुरुष उत्तरजीवियों को जानते हैं: ये हिंसा से पीड़ित महिला के पड़ोसी, मित्र और पारिवारिक सदस्य होते हैं। अधिकांश पुरुषों के जीवन में कभी-कभी उनका कोई करीबी उनसे मदद की गुहार लगाता है। पुरुष को भी देखभाल, करुणा और समझ भरे रवैये के साथ उनकी मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
- क्योंकि पुरुष उत्तरजीवियों के साथ काम करता है: पुरुष उस समुदाय के अभिन्न हिस्सा हैं जो हिंसा से निपट रहे परिवार की सहायता और उससे संवाद करता है। वे जजों, पुलिस अधिकारियों और डॉक्टरों के रूप में काम करते हैं जो संकट के समय परिवार के साथ काम करते हैं।

पुरुष हिंसा को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकता है:

- चुप न रहें, शोषण के खिलाफ आवाज उठाएं;
- अपने आचरण द्वारा प्रदर्शित करें, समझे कि आपका अपना व्यवहार और काम कामुकता और हिंसा को बनाए रखने के लिए कैसे जिम्मेदार हैं और फिर उनको बदलने की दिशा में काम करें। अगर आप महिला के प्रति हिंसक रहते रहे हैं तो तुरंत अपने इस उत्पीड़क व्यवहार को बदलने के लिए सहायता और समर्थन की मांग करें;
- मिसाल पेश करें और महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा देकर उत्पीड़न को रोकें;
- बच्चों से बात करें और उनमें लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ाएं;
- मीडिया में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को चुनौती दें;
- हिंसा को रोकने के बारे में दूसरे पुरुषों से बात करें;
- उन महिलाओं के लिए समर्थन दें जो घरेलू हिंसा से बाहर निकलने का प्रयास कर रही हैं
- महिलाओं के दोस्तों को सुनें, उनकी सुरक्षा के प्रति डर और चिंताओं को जानें और तब उनकी मदद करें जब वे आप में विश्वास दिखाएं;
- अहिंसा के प्रति सकारात्मक रवैये को बढ़ावा देने और व्यक्तियों को पारिवारिक हिंसा की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा और जागरूकता के प्रयासों को विस्तार दें;
- उन उम्मीदवारों को राजनैतिक ऑफिस को सपोर्ट करें जो महिलाओं के पूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समानता के लिए काम करते हैं;
- ऐसे कानूनों का समर्थन करें जो हिंसा समाप्त करने की जिम्मेदारी उठाने के लिए पुरुष को प्रोत्साहित करते हें;
- जागरूक बनें, PWDVA 2005 के क्रियान्वयन संबंधी सूचना का प्रसार करें। PWDVA या घरेलू हिंसा के प्रति महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 उन सभी महिलाओं को सुरक्षा कवच प्रदान करता है जो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। यह एक नागरिक कानून है और इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं की जाती है। मां, बेटियां, बहनें, पत्नियां, लिव-इन पार्टनर और आश्रित बच्चें कानून का सहारा ले सकते हैं। महिला की ओर से कोई भी व्यक्ति निम्न में से किसी के भी पास घरेलू हिंसा की रिपोर्ट कर सकता है:
  - जिला स्तर पर तैनात सुरक्षा अधिकारी
  - आपके क्षेत्र में कार्यरत सेवा प्रदाता या पंजीकृत एनजीओ
  - मजिस्ट्रेट
  - अधिवक्ता
  - पुलिस
- मामले की पहली सुनवाई शिकायत दर्ज कराने के तीन दिनों के भीतर करनी होती है और अंतिम सुनवाई शिकायत दर्ज कराने के 60 से 90 दिनों के अंदर की जानी चाहिए, जिसमें विफल रहने पर संरक्षण अधिकारी को जुमार्ना खंड के तहत दंडित किया जा सकता है।
- PWDVA में पीड़ित महिलाओं के लिए प्रावधान किया गया है, यह प्रावधान निशुल्क चिकित्सा सहायता, सुरक्षित आवास और शोषण करने वाले साथी से सुरक्षा, बच्चों की कस्टडी, आर्थिक मुआवजा और रखरखाव एवं निशुल्क कानूनी सलाह प्राप्त करने में उनकी मदद करता है।
- इसके अलावा, आप महिलाओं के लिए शुरू किए गए राष्ट्रव्यापक टॉल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1091 पर भी कॉल कर सकते हैं या ऐसे मामलों पर काम करने वाले अपने क्षेत्र के पंजीकृत एनजीओ को सूचित कर सकते हैं।

एक महिला के समाजीकरण की शुरूआत उसके अपने घर, अपने माता-पिता, भाई/बहन और संबंधियों से होती है। महिलाओं और लड़कियों के लिए हमारे समाज में उपलब्ध विकल्प सीमित हैं और अंतत: उनकी जिंदगी में आने वाले पुरुष यानी उनके पिता और पति का उनके भाग्य पर काफी हद तक नियंत्रण होता है। जो महिलाएं अच्छी पढ़ी-लिखी हैं और/या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं उन्हें अपने परिवार का समर्थन मिला हुआ है और वे हिंसा की स्थितियों से निकलने में अधिक समर्थ हैं मगर सामाजिक दबाव और महिलाओं से परंपरागत अपेक्षाएं इसे अभी भी काफी मुश्किल विकल्प बनाती हैं। हमारा समाजीकरण हमें चुप रहने की सीख देता है; हमारे माता-पिता और संबंधियों, भाई-बहनों और साथियों की शिक्षा के जरिये इसकी शुरूआत घर से होती है। हमें पढ़ाया जाता है कि महिलाओं और लड़कियों को अपनी शादी और सास-ससुर के साथ संबंधों को हर हाल में बनाए रखना होता है। यह दबाव महिलाओं को चुप रहने पर मजबूर करता है इसलिए उत्पीड़न जारी रहता है। हमारा समाजीकरण और परंपरागत अपेक्षाएं हिंसक शादी को तोड़ने को महिलाओं के लिए काफी मुश्किल बना देता है।

मॉड्यूल IV: लड़कियों को अहमियत देना

सत्र

12

60 मिनट

समाज के सदस्य के तौर पर महिलाओं का योगदान

आवश्यक सामग्री

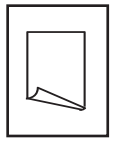

फ्लिप चार्ट पेपर

मार्कर पेन

संलग्नक - संलग्नक 5 : समाज में महिलाओं का योगदान की प्रति से फाड़े गए तीन टुकड़े।

उद्देश्य:

- इस बात की जांच करने में किशोरियों की मदद करना कि समाज लड़कों और लड़कियों में भेदभाव क्यों करता है
- सहभागियों को समाज में लड़कियों को ज्यादा महत्व देने के तरीकों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना

सशक्तिकरण का केन्द्र: मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक/पारस्परिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक

1 क्रियाविधि :

- उद्देश्य के साथ सत्र के नाम की घोषणा करें
- चार्ट पेपर कमरे के दो अलग-अलग कोनों में रखें और उन पर क्रमश: 'लड़के का महत्व' और 'लडकी का महत्व' का नाम लिखें
- सभी सहभागियों को आगे आने और संबंधित चार्ट पेपर के नीचे कम से कम एक कारण लिखने के लिए कहें जिसकी वजह से परिवार लड़कों और लड़कियों को अलग अलग महत्व देता है
- सभी सहभागियों को इस काम को करने के लिए 10-12 मिनट का समय दें और फिर सहभागियों के लिखे कारणों को जोर से पढ़ें

- इसके बाद, इस सत्र योजना के नीचे दिए चर्चा के प्रश्नों को शुरू करें
- अब, सहभागियों को तीन समूहों में बांटें। संलग्नक - संलग्नक 5 : समाज में महिलाओं का योगदान की प्रति से सफाई के साथ फाड़ी गई पर्चियों की सहायता से प्रत्येक समूह को केस स्टडी सौंपें
- अब उन्हें अपने-अपने समूहों में प्रत्येक कहानी के नीचे दिए दो प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करने के लिए कहें। उन्हें 15 मिनट का समय दें। आवश्यकतानुसार वे लिख कर भी नोट तैयार कर सकते हैं।
- हर समूह के पास जाएं और सुनिश्चित करें कि उन्हें जो काम करना है, वो उन्हें समझ में आ गया है। चुप रहने वाले सहभागियों को चर्चा के दौरान बोलने के लिए प्रोत्साहित भी करें।
- इसके बाद, प्रत्येक समूह आकर प्रत्येक केस स्टडी के दोनों प्रश्नों पर अपने विचार और राय के बारे में बताएगा।
- उनके बताए विचारों को फिल्प चार्ट पर लिखें और सहभागियों का उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद कर दें। उनके उत्तर दो अलग-अलग खंडों में लिखे जा सकते हैं - महिलाओं को पेश आई चुनौतियां और चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी गुण।
- सत्र समाप्त करने से पहले जरूरी बातों का सार तैयार करें।

2 चर्चा के लिए प्रश्न:

- लड़कों और लड़कियों की इच्छा करने का सामान्य कारण क्या है?
- लड़के पर लिखना आसान था या लड़की पर?
- आपकी राय में किसे ज्यादा महत्व दिया जाता है और क्यों?
- क्या सभी समुदायों में हमेशा स्थिति एक जैसी रही है? यह कब अलग रही है और क्यों ?
- इस भेदभाव का लड़कों और लड़कियों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
- आपकी राय में हम इस स्थिति को कैसे बदल सकते हैं और लड़कों और लड़कियों के साथ समान व्यवहार कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं?

3 अनुदेशक का नोट :

- समाज पुरुषों (लड़कों) और महिलाओं (लड़कियों) को उस काम के आधार पर महत्व देते हैं जो वे करते हैं। हालांकि महिला/लड़की के जीवन से संबंधित महत्व काफी कम है, इस स्थिति को बदलने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों की शुरूआत महिलाओं और लड़कियों से ही होती है, जो अपने आसपास के समुदायों में योगदान करने के लिए प्रयास के रूप में अपनी हिम्मत और दृढ निश्चय के साथ इस सहज क्षेत्र से बाहर निकलने का प्रयास करती हैं। ये मूल्य नगद आय, सामाजिक सुधारों पर काम करने और सहायक समूह बनाने के रूप में हो सकते हैं। कुछेक मामलों में यह कुरीतियों से लड़ने के साहस के रूप में भी हो सकता है जैसे दहेज की
मांग और माता-पिता की संपत्ति में हिस्सा न मिलने जैसी परंपराओं से मौजूदा कानूनी एवं सामाजिक सहायता प्रणाली की सहायता से लड़ा जा सकता है।
- इन प्रयासों को आगे चलकर परिवार और समाज का भी भरपूर समर्थन मिल सकता है/ यह स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, राय आदि के लिए महिलाओं की जरूरतों पर सकारात्मक प्रभाव का निर्माण करने में भी मदद करेगा।

सत्र

13

60 मिनट

महिलाओं की घटती संख्या और बाल-विवाह पर उसका प्रभाव

आवश्यक सामग्री

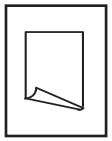

चार्ट पेपर

मार्कर पेन

संलग्नक - संलग्नक 6 : महिलाओं की घटती संख्या और बाल विवाह पर इसका प्रभाव

उद्देश्य :

- सामाजिक लिंग-पक्षपातपूर्ण लिंग चयन के तरीकों के कारण सामाजिक नुकसान की पहचान करने में किशोरियों की मदद करना
- सहभागियों को गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकों (सामाजिक लिंग चयन का निषेध) अधिनियम, 1994 के बारे में बताना
- शादियों विशेषकर बाल विवाह के संदर्भ में महिलाओं की घटी हुई संख्या के प्रभाव का विश्लेषण करने में सहभागियों की मदद करना

सशक्तिकरण का केन्द्र: मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक/पारस्परिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक

1 क्रियाविधि :

- उद्देश्य के साथ सत्र के नाम की घोषणा करें
- सहभागियों को तीन समूहों में बांटें और संलग्नक - संलग्नक 6 : महिलाओं की घटती संख्या और बाल विवाह पर इसका प्रभाव की प्रतियां बांटें
- उन्हें केवल पहला भाग-"केस स्टडी 1: सुजाता की कहानी" को पढ़ने और समझने के लिए कहें। कहानी के नीचे लिखे प्रश्नों को अपने समूह के अंदर चर्चा करने के लिए कहें। चर्चा के लिए उन्हें 15 मिनट दें और आवश्यकतानुसार उन्हें लिख कर नोट तैयार करने के लिए प्रेरित करें।
- हर समूह के पास जाएं और सुनिश्चित करें कि उन्हें जो काम करना है, वो उन्हें समझ में आ गया है। नहीं बोलने वाले सहभागियों को चर्चा के दौरान बोलने के लिए प्रोत्साहित भी करें।

- इसके बाद, प्रत्येक समूह को आकर प्रत्येक केस स्टडी के सभी प्रश्नों पर अपने विचार और राय के बारे में बताने के लिए कहें।
- अब सहभागियों को दूसरा भाग: 'केस स्टडी 2: पियासो की कहानी' पढ़ने के लिए कहें।
- इसके बाद चर्चा सत्र के नीचे दिए चर्चा के लिए प्रश्न को लें।
- अंत में, दो मामला अध्ययनों के आधार पर समूह प्रस्तुतियों और चर्चा के विचारों का इस्तेमाल करके सामाजिक लिंग चयन कदाचारों को बाल विवाह की बढ़ती घटनाओं से जोड़कर सत्र का सार तैयार करें। दूसरे अध्ययन में दी गई सफल कहानी को बताएं जिसमें दुल्हनों की कमी के कारण बाल विवाह की घटना को रोकने के लिए पूरा समुदाय नेताओं के साथ एकजुट हो जाता है।

2 चर्चा के लिए प्रश्न:

- क्या आप अपने पास-पड़ोस या अपने परिवार में इसी तरह के मामलों के बारे में जानते हैं?
- क्या आप ऐसे किसी संगठन के बारे में जानते हैं जो ऐसी स्थितियों का सामना करने वाली महिलाओं की मदद करता है? आपकी राय में वे किस तरह की मदद मुहैया कराते हैं?
- अगर समय के साथ महिलाओं की संख्या इसी तरह घटती रहें तो क्या् होगा? क्या इसका प्रभाव शादियों पर पड़ेगा? कैसे?
- क्या आप दुल्हनों की कमी के कारण 'दुल्हन खरीदने' के बारे में जानते हों जिसके कारण लड़कियों की उनके घरों/गांवों से मानव तस्करी की जा रही है?
- चुनिंदा क्षेत्रों में दुल्हनों की कमी के कारण बाल विवाह के मामलों की चुनौतियों से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है?

3 अनुदेशक का नोट :

भारत में लिंग निर्धारण जांच की लोकप्रियता का प्रमुख कारण लड़के की चाहत रखना है जिसे काफी हद तक धर्म, परंपरा और संस्कृति की स्वीकृति हासिल है। भारत में लड़की के प्रति भेदभाव करने की परंपरा रही है, जिसकी वजह से उसे स्वास्थ्य, पोषण या शिक्षा प्राप्त करने में लगातार भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। वर्तमान में उन्नत टेक्नोलॉजी ने लिंग चयन के आधुनिक तरीके सामने ला दिए हैं जिसकी वजह से जन्म से पहले लिंग चयन के उन्मूलन के जरिये बाल लिंग अनुपात में भारी गिरावट आई है। क्लिनिक और पेशवेर चिकित्सक सिर्फ दो दशक पहले बड़े जोर शोर से लिंग चयन का विज्ञापन देकर इन जांचों की पेशकश करते थे वे अपने विज्ञापन में लिखते थे - "अभी केवल 500 रु. खर्च कीजिए और 500000 रु. (दहेज) बचाइये।"

भारत की जनगणना, 2011 के अनुसार, भारत में 1000 पुरुषों पर 914 महिलाएं हैं। 2001 में यह संख्या 927 थी, इस प्रकार इसमें कमी आई है। इसके परिणामस्वरूप कुछ चिंताजनक परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, जिनमें से कुछ मीडिया द्वारा भी उठाई गई हैं। उदाहरण के लिए - गुजरात-राजस्थान सीमा पर डांग जिले में एक ही परिवार के आठ भाइयों ने एक ही दुल्हन से शादी की है क्योंकि इस क्षेत्र में पत्नी पाना काफी मुश्किल भरा काम है - (सितंबर 2001, इंडिया टुडे)। जैसलमेर के देवरा गांव को 1997 में 110 वर्ष बाद बारात का स्वा्गत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ - (द पॉयनियर, 28 अक्टूबर, 2001)।

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम, 1994 गर्भधारण से पहले और बाद में लिंग चयन को विनियमित करता है। इसका उद्देश्य अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकों के दुरूपयोग को रोकना है जो भ्रूण के लिंग की पहचान करने में मदद करती हैं।

पीसी और पीएनडीटी अधिनियम क्या कहता है?

- लिंग चयन और लिंग निर्धारण करना निषेध है।
- प्रसव पूर्व निदान प्रोसीजर करने वाला कोई भी व्यक्ति गर्भवती महिला, या उसके रिश्ते्दार या किसी अन्य व्यक्ति को भ्रूण के लिंग के बारे में शब्दों, इशारों या किसी अन्य तरीके से नहीं बताएगा।
- अल्ट्रासाउंड करने वाले सभी क्लिनिक पंजीकृत होने चाहिए और अधिनियम के तहत योग्य चिकित्सक ही अल्ट्रासाउंड जैसी नैदानिक तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- सभी क्लिनिकों को निम्लिखित सूचना को अंग्रेजी के साथ स्थानीय भाषाओं में प्रमुखता से प्रदर्शित करना चाहिए: 'भ्रूण के लिंग का खुलासा करना कानून के तहत मना है'
- लिंग निर्धारण जांच का विज्ञापन देने वाले डॉक्टर या क्लिनिक दंड के भागी होंगे।

© Breakthrough/India

मॉड्यूल V: निर्णय लेने और बातचीत की योग्यता का विकास

सत्र

14

45 मिनट

सही विकल्प चुनना और उसे कायम रखना

आवश्यक सामग्री

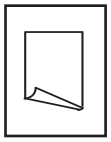

फ्लिप चार्ट

मार्कर पेन

राज्या विशिष्ट सरकारी योजनाओं पर सूचना, जैसे सशर्त नकदी हस्तांतरण योजना या लाभ जो लड़कियों के लिए उच्चशिक्षा और सामुदायिक विवाहों को बढ़ावा देते हैं।

उद्देश्य :

- बाल विवाह और हिंसा से जुड़ी मुश्किल परिस्थितियों का पता लगाने में किशोरियों की मदद करना, जिसका सामना उन्हें और/या उनके साथियों को करना पड़ सकता है।
- सहभागियों को बाल विवाह और हिंसा का सामना करने के लिए सही निर्णय लेने के लिए उपलब्ध सहायक प्रणाली के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्रदान करना
- हितधारकों की पहचान करने में सहभागियों की मदद करना जो बाल विवाह के उन्मूलन में सहायक हो सकते हैं और इन हितधारकों के साथ काम करने में आने वाली संभावित चुनौतियों की पहचान करना

सशक्तिकरण का केन्द्र: मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक/पारस्परिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक

1 क्रियाविधि :

- उद्देश्य के साथ सत्र के नाम की घोषणा करें
- नीचे दी गई सारणी बनाएं और प्रत्येक पंक्ति में सहभागियों के उत्तर दर्शाएं। पंक्तियां उच्च जोखिम वाली किशोरियों द्वारा सामना की जा रही संभावित चुनौतियों को दर्शा रही है और कॉलम सही निर्णय लेने के विकल्प को दर्शा रहे हैं। आप बदलते स्थानीय परिप्रेक्ष्य में और पंक्तियां और कॉलम जोड़ सकते हैं। कुछ अपेक्षित उत्तर और सूचना नीचे मुहैया कराई गई है।

किशोरियों के लिए मुश्किल स्थितियां	चुनौती से निपटने के लिए जरूरी गुण	उपलब्ध सहायक प्रणालियां*	लोग/निकाय जो सहायता कर सकते हैं
पढ़ाई बंद करना	दृढता, बेहतर संवाद करने में समर्थ, समस्या का हल करने वाला, अच्छा निर्णय लेने वाला, निडर, साहसी, मजबूत	शिक्षा का अधिकार, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत नजदीकी स्कूल में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा; बाल हेल्पलाइन 1098; आंगनवाड़ी और ICDS केन्द्र; कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना (KGBV योजना)	महिला हेल्पलाइन 1091; बाल हेल्पलाइन 1098; माता/पिता-परिवार; स्कूल (शिक्षक, स्कूल प्रबंधन समितियां, ग्रामीण शिक्षा समितियां); दाई/ मिडवाइफ/आशा कार्यकर्ता; आईसीडीएस केन्द्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता; पड़ोसी-समुदाय; पंचायत के सदस्या ; धार्मिक संस्थान (धर्माचार्य); विधायक, संसद सदस्य; स्थानीय एनजीओ प्रशासनिक अधिकारी-बीडीओ; स्थानीय मीडिया समूह
आजीविका का अभाव	धैर्य, अत्यधिक आत्मविश्वास, तनाव को झेलने में सक्षम, संवाद करने में समर्थ, तेजी से सीखने वाली, अच्छा निर्णय लेने वाली, वार्ताकार, टीम वर्कर, लीडर, निडर, साहसी, मजबूत, दृढता	एनजीओ द्वारा संचालित व्यवसायिक प्रशिक्षण कोर्स	
बाल विवाह	दृढता, धैर्य, अत्यधिक आत्मविश्वास, तनाव झेलने में सक्षम, संवाद में समर्थ	बाल विवाह का निषेध अधिनियम, 2006 (PCMA), मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना	
दहेज और घरेलू हिंसा	समस्या को हल करने वाली, अच्छा निर्णय लेने वाली, वार्ताकार, टीम वर्कर, लीडर, निडर, साहसी, मजबूत	घरेलू हिंसा के प्रति महिला संरक्षण, अधिनियम, 2005 (PWDVA) भारतीय दंड संहिता - दंडित बलात्कार (अनुच्छेद 376) किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act) 2000, 2006 में संशोधित – पीडितों के लिए निवारण और सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 – विस्तृत कानून यौन उत्पीड़न के रूपों के दायरे और व्यापकता को विस्तारित कर रहे हैं। यह बाल हितैषी पुलिस और न्यायालय के लिए दिशानिर्देशों को भी परिभाषित करता है। भादंसं की धारा 498A– भारतीय दंड संहिता घरेलू हिंसा के मामलों में आपराधिक शिकायत के प्रावधान करता है। गर्भनिरोधक उपाय	
यौन उत्पीड़न /शारीरिक शोषण			
जबरन गर्भाधान			
शिशुओं में जबरन लिंग चयन	दृढता, अत्यधिक आत्मविश्वास, तनाव झेलने में सक्षम, निडर, साहसी, मजबूत	गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकें (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 गर्भनिरोधक उपाय	

*[1] किशोरियों से सहयक प्रणालियों और तंत्र के बारे में अधिक जानकारी होने की उम्मीद नहीं की जाती है इसलिए प्रशिक्षक को सलाह दी जाती है कि वे सहभागियों से जवाब लेकर पहले दो कॉलम भरने के बाद सूचना भरें। और सहभागियों के साथ साझा करने के लिए स्थानीय एनजीओ की सूची भी तैयार रखें जो किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए सक्रियता से काम कर रहे हैं

- सारणी में वर्णित मुख्य बातों और निम्नलिखित के महत्व पर संक्षेप तैयार करें...
  - » व्यक्तिगत गुण, द्वारा समर्थित
  - » उपलब्ध विकल्पों की पर्याप्त जानकारी
  - » ...जो सुविचारित निर्णय लेने में मदद करते हैं।
- अब, सहभागियों को तीन समूहों में बांटे और उन्हें उपरोक्त सारणी के पहले कॉलम से किशोरियों को पेश आने वाली एक या दो स्थितियां दें। उनसे बताने के लिए कहें कि वे समाधान पाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों के सामने समस्याओं का वर्णन कैसे करेंगे:
  - » अभिभावक/परिवार/समुदाय
  - » स्कूल (शिक्षक, स्कूल प्रबंधन समितियां, ग्रामीण शिक्षा समितियां)
  - » पंचायत के सदस्य
  - » धार्मिक संस्थान (धर्माचार्य)
- समूहों को विषय विशिष्ट होने और विचारों को आसान रखने तथा यथा संभव करने योगय रखने के लिए कहें। उन्हें अपनी चर्चा को निम्नलिखित तीन प्रश्नों् पर केन्द्रित रखने के लिए कहें:
  - » आप हितधारकों से संपर्क कैसे करेंगे?
  - » इन हितधारकों से कौन से सामान्य तर्क प्राप्त होने की संभावना है?
  - » आप उपलब्ध सूचना की सहायता से उनके तर्कों के जवाब में कौन से तर्क पेश कर सकते हैं?
- अब, तीनों समूहों को आगे आने और अपने-अपने विचारों और राय प्रस्तुत करने के लिए कहें।
- समूहों की भागीदारी के लिए उनका धन्यवाद करें और मुख्य बातों का संक्षेप तैयार करें। अगले सत्र के लिए परिप्रेक्ष्य तैयार करें जो बेहतर संवाद कौशल के जरिये हितधारकों के साथ कार्यप्रणाली को विशेष रूप से संबोधित करेगा।
- सत्र को समाप्त करें

सत्र

15

30 मिनट

अधिकारों की बातचीत करने में समूहों एवं संगठनों की शक्ति

आवश्यक सामग्री

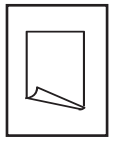

फ्लिप चार्ट

मार्कर पेन

संलग्नक - संलग्नक 7 : सहभागियों द्वारा शपथ ली जाने वाली की प्रतियां

उद्देश्य :

- बाल विवाह और हिंसा, जिसका वे और/या उनके साथी सामना कर सकते हैं, से संबंधित मुश्किल स्थितियों का सामना करने में बातचीत के महत्व को स्वीकार करने में किशोरियों की सहायता करना
- सहभागियों को समूह और संगठन बनाकर बेहतर के लिए बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करना
- बाल विवाह, सामाजिक लिंग-पक्षपातपूर्ण लिंग चयन, दहेज और महिलाओं एवं लड़कियों के प्रति उत्पीसड़न/हिंसा को समाप्त करने के लिए सहभागियों को शपथ दिलाना

सशक्तिकरण का केन्द्र: मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक/पारस्परिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलु

1 क्रियाविधि :

- उद्देश्य: के साथ सत्र के नाम की घोषणा करें
- सहभागियों को उन चुनौतियों के नाम बताने के लिए कहें, जो उन्होंने पिछले सत्र के दौरान अंतिम क्रियाकलाप को करते समय महसूस की थी। विभिन्न हितधारकों के साथ काम करने के लिए क्रियाकलाप में तरीके दिए गए थे।

- उनके उत्तर फ्लिप चार्ट पर लिखें। अपने विचार भी लिखें।
- अब, पिछले सत्र की निम्नलिखित टिप्पणियों को सहभागियों के साथ साझा करें (सत्र 13: सही विकल्प चुनना और उन्हें कायम रखना):
  - » गहराई तक जमी सामाजिक समस्याओं जैसे बाल विवाह, घरेलू हिंसा और दहेज का सामना करना मुश्किल है।
  - » इन समस्याओं के समाधानों को केवल लड़कियों/महिलाओं द्वारा संभव नहीं किया जा सकता। इसके लिए समुदाय और व्यवस्था के विभिन्न हितधारकों की भागीदारी जरूरी है।
  - » समुदाय, फ्रंटलाइन वर्कर और स्कूल जैसे हितधारक सामाजिक समस्याओं पर काम करते हुए तर्क या जोखिम प्रस्तुत कर सकते हैं। अक्सर अकेले उनका सामना करना अप्रभावी होता है। इसी दौरान, अगर संगठन या समूहों के रूप में संपर्क किया जाता है तो विचार प्रस्तुत करना और हितधाकरों को प्रेरित करना/बातचीत करना काफी आसान हो जाता है।
- अब, इस सत्र योजना के नीचे दिए गए अगले खंड में वर्णित प्रश्नों की सहायता से समूहों में काम करने के बारे में विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करें।

2 चर्चा के लिए प्रश्न :

- बाल विवाह, सामाजिक लिंग-पक्षपातपूर्ण लिंग चयन, दहेज और महिलाओं एवं लड़कियों के प्रति उत्पीड़न/हिंसा का सामना करने में लड़कियों/महिलाओं के समूह और संगठन महत्वपूर्ण क्यों हो गए हैं?
- समूहों में काम करने के क्या फायदें हैं? पंचायत, शिक्षकों, धर्म गुरूओं, पुलिस जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ काम करते समय महिला समूहों द्वारा प्रदर्शित संवाद कौशल और क्षमताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है?
- क्या आप अपने क्षेत्र के किसी महिला स्वयं सहायता समूह के बारे में जानते हैं? वे कौन-कौन से काम करते हैं?
- आप सभी किशोरियों के रूप में अपने क्षेत्र में समूहों का निर्माण कैसे कर सकती हैं?
- आप लड़कियों के माध्यमिक स्कूल छोड़ने से रोकने, उनके माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह, सामाजिक लिंग-पक्षपातपूर्ण लिंग चयन, दहेज और महिलाओं एवं लड़कियों के प्रति उत्पीड़न/हिंसा को समाप्त करने के लिए कैसे काम करेंगे?
- पूरे मॉडयूल के दौरान सहभागियों की सक्रिय भागीदारी के लिए उनका धन्यवाद करें और संलग्नक - भाग 7: सहभागियों द्वारा शपथ लेना की प्रतियां बांटें।
- अंत में, सहभागियों को अपने बाद इस शपथ को पढने के लिए कहें: 'माध्यमिक स्कूल छोड़ने की दर को कम करने, बाल विवाह, सामाजिक लिंग-पक्षपातपूर्ण लिंग चयन, दहेज और महिलाओं एवं लड़कियों के प्रति उत्पीड़न/हिंसा को समाप्त करना''

3 प्रशिक्षण टिप्पणियां :

समूह की सदस्य मिलकर काम करके निम्नलिखित लाभों को प्राप्त कर सकती हैं:

- सुरक्षा - शारीरिक, मानसिक, वित्तीय, सामाजिक आदि
- स्थिति - सफल सदस्य अच्छा सार्थक क्रियाकलाप में शामिल होती हैं
- आत्मसम्मान- आत्मसम्मान में वृद्धि
- मान्यता- स्वीकृत और सम्मानित दल का सदस्य होने का गर्व
- शक्ति: दल के रूप में विचार सम्मान के साथ सुना जाता है और हितधारकों द्वारा मदद की जाती है
- लक्ष्य प्राप्ति: कई कामकाजी हाथ और दिमाग मिलकर एक ही दिशा में काम करते हैं और सोचते हैं

किशोरियों के संगठनों या स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता । वे PCMA और माध्यमिक शिक्षा नामांकन के महत्व पर समुदाय के बीच सूचना का प्रसार करने में पंचायती संस्थाओं तथा स्कूल प्रबंधन समिति के साथ मिलकर काम कर सकती हैं। वे स्थानीय पुलिस या CMPOs के साथ नेटवर्क बना सकती हैं और अपने क्षेत्र की बाल विवाह और हिंसा की विशेषताओं और समस्याओं पर चर्चा कर सकती हैं। वे समूह के रूप में संभावित बाल विवाह की घटनाओं की सूचना विभिन्न प्राधिकारियों को दे सकते हैं। वे CSO सदस्यों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, निर्वाचित पंचायत और जाति आधारित पंचायत के प्रतिनिधियों वाली समितियों के सक्रिय सदस्य बन सकती हैं। ये समितियां आमतौर पर जागरूकता बढ़ाने और बाल विवाह होने पर कानूनी कार्यवाही करने के लिए परिवार के साथ काम कर सकती हैं। वे बाल विवाह के खिलाफ समुदायों को जागरूक बनाने के लिए नुक्कड़ नाटक समूह बना सकती हैं जिनमें लड़कियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका योजना के बारे में सूचना मूहैया कराने को भी शामिल किया जा सकता है। वे शिक्षकों के साथ स्कूली बच्चों के लिए जागरूकता पैदा करने और प्रशिक्षण कार्यक्रम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।

© UNICEF/India/Singh

संलग्नक

संलग्नक 1

मानव अधिकार क्या हैं?

मानव अधिकार वे बुनियादी अधिकार हैं जिनके बगैर इन्सान सम्मान के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। किसी के मानवाधिकारों का हनन को इस तरह माना जाता है कि उस व्यक्ति, चाहे वो महिला हों या पुरुष हों, को इन्सान की तरह नहीं माना गया था। सामाजिक लैंगिक भेदभाव तब हुआ माना जाता है जब लड़के या लड़की को उनके मानव अधिकारों को पूरी तरह से लेने या इस्तेमाल करने से रोका जाता है। उदाहरण के लिए जब लड़की को घर की देखभाल करने या विवाह करने के लिए जल्दी स्कूल छोड़ने के लिए कहा जाता है। जबकि उसी परिवार में लड़कों की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि उसे अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए कमाना होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया पुरुषों और महिलाओं को उनके अधिकार प्राप्त करने के लिए तरीके को प्रभावित करती है।

मानव अधिकारों के बारे में सीखने के लिए हमें सम्मान, निष्पक्षता, न्याय और समानता के विचारों को समझना होगा। हम अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना और दूसरों के अधिकारों को सम्मान देने की अपनी जिम्मेदारी के बारे में सीखते हैं।

मानव अधिकारों के अंतर्गत लगभग 30 अनुच्छेद हैं, जिसपर पूरी दुनिया के लोगों ने संयुक्त राष्ट्रसंघ में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर हस्ताक्षर करके अपनी सहमति व्यक्त की है। किशोरियों के मामले में लागू सबसे अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण अधिकारों में निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं:

- जीवन, आजादी और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार
- प्रताड़ना से मुक्ति
- निष्पक्ष सुनवाई
- अभिव्यक्ति की आजादी
- धार्मिक स्वतंत्रता
- स्वास्थ्य, शिक्षा और जिंदगी के पर्याप्त मानक

सरकार की यह सुनिश्चित करने की विशेष जिम्मेदारी है कि लोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने में समर्थ बनें। उन्हें ऐसे कानून और सेवाएं स्थापित करनी चाहिए जो अपने नागरिकों को ऐसे जीवन जीने में समर्थ बनाएं, जिनमें उनके अधिकारों का पालन होता हों।

दूसरे लोगों और समुदाय के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ और कर्तव्य हैं। व्यक्तियों की यह सुनिश्चित करने की जिम्मदारी है कि वे दूसरों के अधिकारों को समुचित सम्मान देते हुए अपने अधिकारों का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति की आजादी के अपने अधिकार का प्रयोग करता है तो उन्हें नफरत भरा भाषण देकर और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करके किसी के सुरक्षा के अधिकार का हनन नहीं करना चाहिए।

लोग समाज, परिवार, समुदाय, शिक्षा संस्थान, कार्यस्थलों, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सभी स्तरों पर दूसरों के साथ जैसा संवाद करते हैं, मानव अधिकार उसका महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हर जगह के लोगों को समाज में न्याय, समता और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए मानव अधिकारों को समझने का प्रयास करना चाहिए। मगर लोग मानव अधिकारों का अक्सर हनन करते हैं। अक्सर, लड़कियां और महिलाओं को जीवन, शिक्षा और काम के अधिकार से वंचित किया जाता है।

किसी के भी अधिकारों का हनन किया जा सकता है। एक बहुत समान्य हनन तब होता है जब व्यक्ति अपने जीवन में हिंसा का शिकार होता है जो घरेलू हिंसा या यौन उत्पीड़न/शोषण के रूप में हो सकता है।

समूह के लिए अभ्यास:

अपने समूहों में चर्चा करें और सारणी को भरें। एक उदाहरण आपके लिए दिया गया है

मेरा अधिकार:	जिसका अर्थ है:	जरूरी संसाधन	जिम्मेदार व्यक्ति:
जीवन, आजादी, व्यक्तिगत सुरक्षा	शौचालय के इस्तेमाल में सुरक्षा	स्कूलों और घर में सुरक्षित शौचालय	अभिभावक शिक्षक
प्रताड़ना से मुक्ति			
निष्पषक्ष सुनवाई			
अभिव्यक्ति की आजादी			
धार्मिक स्वतंत्रता			
स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के पर्याप्त मानक			

संलग्नक **2**

युवा लड़कियों और बच्चों का यौन शोषण (अभिभावकों और समुदाय के नेताओं के लिए)

लड़कियों के खिलाफ यौन शोषण के बारे में मिथक

(बाल शोषण संबंधी अध्ययन पर आधारित, भारत 2007; महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

मिथक 1: बच्चों के यौन शोषण के लिए अजनबी जिम्मेदार होते हैं।

सच्चाई: उत्पीड़न करने वालों में वे लोग ज्यादा होते हैं जो बच्चे के जानकार होते हैं जबकि अजनबी की संख्या कम होती है।

मिथक 2: यौन शोषण दुर्घटनावश और अजनबियों द्वारा होता है।

सच्चाई: यौन शोषण अक्सर पूर्व नियोजित होता है और यह अपराधी द्वारा संबंधों का खतरनाक दुरूपयोग होता है।

मिथक 3: यौन शोषण छोटे परिवारों में होता है न कि संयुक्त परिवारों में।

सच्चाई: यौन शोषण संयुक्त और छोटे, दोनों परिवारों में होता है।

मिथक 4: लड़कियां बातों को अपने तक सीमित नहीं रखती है, अगर उनका शोषण होता है तो वे जरूर बताएंगी।

सच्चाई: अधिकांश बच्चे मामले के बारे में किसी को नहीं बताते हैं।

मिथक 5: यौन शोषण में भावनात्मक उत्पीड़न दुर्लभ होता है।

सच्चाई: भावनात्मक शोषण यौन शोषण के साथ-साथ होता है।

मिथक 6: लड़कियों और लड़कों के यौन शोषण के बारे में माता-पिता सामाजिक लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं।

सच्चाई: 48.4% लड़कियों ने सुरक्षित रहने और पर्याप्त देखभाल पाने के लिए लड़के की कामना की थी।

वे कौन से भारतीय कानून हैं जो बच्चों को यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान करते हैं?

- भारतीय दंड संहिता - दंडित बलात्कार (अनुच्छेद 376)
- किशोर न्याय अधिनियम (JJ अधिनियम) 2000, 2006 में संशोधित - इसमें पीड़ितों के लिए निवारण प्रणालियां और संरक्षण उपाय शामिल हैं।
- बच्चों को यौन अपराध से सरंक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 – विस्तृत कानून यौन उत्पीड़न के रूपों के दायरे और व्यापकता को विस्तारित कर रहे हैं। यह बाल हितैषी पुलिस और न्यायालय के लिए दिशानिर्देशों को भी परिभाषित करता है।

अगर आपके सामने युवा लड़की के यौन शोषण का मामला आता है तो आप क्या कर सकते हैं?

- शारीरिक सुरक्षा (सुनिश्चित करना कि बच्चा कभी भी दोबारा अपराधी के साथ न हो),
- भावनात्मक समर्थन (आपको अपने बच्चे को बताना चाहिए कि जो भी हुआ उसमें उसकी गलती नहीं थी और जरूरी होने पर उसे मनोवैज्ञानिक परामर्श मुहैया कराएं), और
- सही माहौल, जिसमें बच्चा, सुरक्षित महसूस करें।

इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं:

» 1098 पर फोन करना: यह चाइल्ड लाइन नंबर है और आप इस पर मामले की रिपोर्ट दे सकते हैं। इसमें उपलब्ध परामर्शदाता सूचना देने और ऐसे मामलों को संभालने में समर्थ होते हैं।

» पुलिस को फोन करें और मामले की रिपोर्ट करें

» अपने क्षेत्र के एनजीओ को फोन करें जो बाल यौन उत्पीड़न के मामलों को देखते हैं।

संलग्नक **3**

युवा लड़कियों और बच्चों का यौन शोषण - रूना की कहानी

रूना 25 साल की है और उसके पास अपने बचपन की कोई अच्छी यादें तो नहीं हैं मगर यौन शोषण की तस्वीरें आज भी उसके आंखों के सामने तैरती रहती हैं। वह मुश्किल से सात साल की थी, वह एक ठेठ ग्रामीण परिवार में अपने पांच भाई-बहनों के साथ रहती थी और उसके घर में उसके कई रिश्तेदार भी उनके साथ रहते थे। उसकी मां गृहिणी थी और वह हमेशा कम साधनों के सहारे एक बड़े परिवार को चलाने के कार्य में व्यस्त रहती थी। उसके पिता को अपने परिवार का पेट भरने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था। इस विशाल परिवार का सदस्या होना उसे अच्छा लगता था। यह उसे घर की एक असीम भावना से भर देता था। मगर यह उसे यौन शोषण का एक आसान शिकार भी बनाता था। दूर के रिश्तेदारों और चचेरे भाई/बहनों का घर में आना-जाना लगा रहता था और घर में सबसे छोटी लड़की होने के नाते सभी उसे प्यार करते थे।

यह प्यार तभी होता था जब वह उनमें से एक के साथ अकेली होती थी। उसे इससे नफरत थी मगर इसी तरह की परिस्थितियों की शिकार कई दूसरी लड़कियों की तरह वह भी इसके बारे में बताने से डरती थी। उसे छुआ, चूमा, मसला जाता था या बंद बाथरूम में 'प्यार' किया जाता था। घर पूरा भरा होने के बाद भी वह हमेशा काफी अकेलापन महसूस करती थी। इस रोज-रोज के शोषण के बाद वह इसका अहसास स्पष्ट तौर पर करने लगती थी, एक दिन वो टूट गई और फर्श पर बैठकर जोर-जोर से चिल्लाने लगी। उस समय उसकी उम्र मात्र दस साल थी। अपराधी काफी हैरान और डरा हुआ था। उसने रूना से पूछा, "इतने लंबे समय बाद तुम ये हंगामा खड़ा क्यों् कर रही हों? ऐसा नया क्या हो गया है?" उसे याद है कि उसकी बड़ी बहन अपराधी को तब तक मारती रही जब तक कि वह थक न गई। उसके माता-पिता ने अपराधी को तुरंत इस परिवार को छोड़कर जाने के लिए कहा।

इसके बाद, रूना का परिवार अपने दिनचर्या में ऐसे लग गया, मानो कुछ हुआ ही न हों। आज, रूना यकीन से नहीं कह सकती कि इस शोषण का उस पर क्या् प्रभाव पड़ा होगा, वह अक्सर यह सोचकर हैरान हो जाती है कि उसके परिवार ने इसकी रिपोर्ट पुलिस को क्यों नहीं दी । उस अपराधी को बचकर क्यों निकलने दिया गया? क्या परिवार का सम्मान उसकी इज्जत से बढ़कर था। इस आघात के दशक बीत जाने के बाद भी उसने अपने माता-पिता से ये सवाल नहीं किए। और उसे भी इनके जवाब पता नहीं हैं!

इन प्रश्नों की अपने समूह में चर्चा करें और उत्तर प्रस्तुत करें:

1. रूना को यौन शोषण के बारे में अपने माता-पिता को बताने में क्या रुकावट आ रही थी?
2. यौन शोषण का रूना पर क्या प्रभाव पड़ा?
3. शोषण के बारे में जानने के बाद रूना के माता-पिता क्या कदम उठा सकते थे?

संलग्नक **4**

बाल विवाह में मानव अधिकारों का उल्लंघन

समूह 1 : स्वास्थ्य एवं बाल विवाह

मीना 15 साल की है और गांव में रहती है। वह कक्षा नौंवी में पढ़ती है। एक दिन, उनका एक पडोसी अपने भतीजे का रिश्ता लेकर उसके पिताजी के पास आया। उनका भतीजा छत्तीसगढ़ में रहता था और वह ईंट के भट्टे में मजदूर का काम करता था वह अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य में काम के सिलसिले में जाता रहता था। मीना शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मगर उसके पिताजी को लगा कि यह पिता का फर्ज निभाने का अच्छा मौका है। आखिरकार वे मीना का विवाह एक महीने के अंदर करवा देते हैं।

एक साल के बाद, 16 साल की उम्र में उसने एक लड़की को जन्म दिया। गर्भावस्था के दौरान, उसे पर्याप्त भोजन या अच्छी देखभाल नहीं मिली थी। अधिकांश समय, उसके पति काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। हालांकि उनका घर आना-जाना लगा रहता था। उसका पति नियमित रूप से पैसे भी नहीं भेजता था। उसका गर्भावस्था का समय काफी मुश्किलों भरा रहा और वह बहुत कमजोर और बीमार हो गई थी। किसी तरह उसे एक कम वजन वाले और कुपोषण के शिकार शिशु को जन्म दिया।

अगले कुछ महीनों के दौरान, मीना को बार-बार बुखार और चकते होने लगे, उसे ज्यादा थकान महसूस होने लगी और गर्दन पर सूजन हो गई। वह डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने उसे खून की जांच कराने की सलाह दी, जांच रिपोर्ट में उसे HIV पॉजिटिव पाया गया।

जब उसके सास-ससुर को उसकी बीमारी के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे और उसकी बच्ची को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया और उसके चरित्र पर भी लांछन लगाए। अब तक उसकी बच्ची भी बार-बार बीमार पड़ने लगी थी। वह अपने माता-पिता के पास गई मगर उन्होंने भी उसे अपने घर में पनाह देने से इंकार कर दिया।

समूह में इन प्रश्नों पर चर्चा करें:

1. इस कहानी में किन अधिकारों का हनन हो रहा है और कैसे?
2. इस तरह अधिकारों के हनन का लड़की पर क्यां प्रभाव पड़ा?

Please photocopy and cut the grey line

समूह 2 : विकल्प चुनने/निर्णय लेने का अधिकार और बाल विवाह

रमा शहर के नजदीक एक गांव में रहती थी। हर साल, वह स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। जब वो कक्षा नौंवी में गई तो उसके पिता ने उसकी मां की जोरदार विरोध के बावजूद उसे उपहार में एक मोबाइल फोन दिया। रमा इंग्लिश कोचिंग की कक्षा के अपने दोस्तों के साथ मोबाइल पर खूब बात करने लगी। धीरे-धीरे उसके पिता को भी उसका अपने दोस्तों के साथ इस तरह बात करना नागंवार लगने लगा।

एक दिन, उसने देखा कि उसके माता-पिता ने उसके लिए दूल्हा खोजना शुरू कर दिया था। उसने उनसे कहा कि वह शादी करने के बजाय अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूं। मगर उसके पिताजी ने उसकी बात मानने से इंकार कर दिया, उनको लगता था कि उसकी दोस्ती किसी लड़के से है जो उनकी बिरादरी से बाहर का था। इसलिए उन्होंने रमा पर दबाव बनाया कि वो उनकी पसंद के लड़के के साथ शादी करें।

अगले दिन, वह स्कूल जाते समय अपने दोस्त प्रीतम से मिली और उसे अपने घर की पूरी बात बताई। रमा और प्रीतम उस दिन स्कूल नहीं गए और एक पार्क में बैठकर अपनी समस्या का समाधान ढूढने का प्रयास करने लगे। वापसी में वे रमा के पिताजी से मिले, जो प्रीतम के साथ अपनी लड़की को देखकर आग-बबूला हो गए।

रमा उस दिन घर वापस नहीं गई। रमा के पिताजी ने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी का किसी ने अपहरण कर लिया है, हालांकि वे जानते थे कि उनका ये आरोप झूठा है। बाद में उन्हें पता चला कि रमा ने अपने दोस्त प्रीतम से शादी कर ली है वो प्रीतम के घर में उसके माता-पिता की सहमति से रह रहे थे। गुस्से से भरे रमा के पिताजी अपने इलाके के कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ उससे मिलने आए और लड़के को बुरी तरह से पीटा। उसके पिताजी ने उसे घर वापस चलने के लिए बहुत कहा मगर वह नहीं मानी। बल्कि उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि उसका कोई अपहरण नहीं किया गया है और उसने अपनी मर्जी से प्रीतम से विवाह किया है।

समूह में इन प्रश्नों पर चर्चा करें:

1. इस कहानी में किन अधिकारों का हनन हो रहा है और कैसे?
2. इस तरह अधिकारों के हनन का लड़की पर क्या प्रभाव पड़ा?

Please photocopy and cut the grey line

समूह 3 : शिक्षा, रोजगार और बाल विवाह :

श्रेया एक गरीब परिवार से थी मगर वो पढ़ने में बहुत होशियार थी और स्कूल में हमेशा अच्छा नंबर लाती थी। उसके दो भाई थे, वे दोनों भी स्कूल जाते थे और ट्यूशन भी पढ़ते थे। जब वो कक्षा नौंवी में गई, तब वो 15 साल की थी, उसके पिताजी ने उसकी शादी एक दर्जी से तय कर दी।

शादी के बाद, श्रेया अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी मगर उसे इसकी लिए अनुमति नहीं मिली। इसके बाद के तीन वर्षों के दौरान उसने दो बच्चों को जन्म दिया। धीरे-धीरे उसके पति का धंधा मंदा होने लगा। उसका पति रोजाना उसे सताने लगा और बार-बार उससे कमाई करके अपने बच्चों को पालने के लिए कहने लगा। इस समस्या का समाधान करने के लिए उसने नजदीक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए आवेदन किया। मगर यहां पर भी भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया और उसे यह नौकरी नहीं मिली क्यों कि उस पद के लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा दसवीं पास होना जरूरी था।

समूह में इन प्रश्नों पर चर्चा करें:

1. इस कहानी में किन अधिकारों का हनन हो रहा है और कैसे?
2. इस तरह अधिकारों के हनन का लड़की पर क्यौ प्रभाव पड़ा?
3) यदि श्रेया ने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की होती तो, इससे उनके जीवन में क्या फर्क आता?

Please photocopy and cut the grey line

समूह 4 : हिंसा और बाल विवाह :

नजदीक के गांव की रहने वाली 15 साल की राधा अपनी सबसे अच्छी सहेली मिनी के साथ ट्यूशन से घर लौटते समय हुई बलात्कार की घटना के बारे में सुन कर काफी दुखी थी। अपनी लड़की के साथ इस तरह घटना को रोकने के लिए राधा के पिताजी उसकी शादी एक ऐसे आदमी से जल्दबाजी में कर दी जो उससे 14 साल बड़ा था। जबकि राधा आगे पढ़ना चाहती थी, और कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहती थी, उसे इच्छा न होते हुए भी यह शादी करनी पड़ी। उसको यह विवाह इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसके माता-पिता ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसका हाल भी उसकी सहली मिनी जैसा हुआ तो वे आत्महत्या कर लेंगे क्योंकि इसके बाद समाज का सामना करना उनके लिए अत्यंत अपमानजनक होगा।

शादी के बाद, उसके सास-ससुर ने उसके काले रंग के कारण अपने साथ 30000 रु. लाने का आदेश दिया। इसके अलावा, वह सुबह से लेकर रात तक घर के सारे काम करती थी। परिवार में सबके सोने के बाद उसे सोने की इजाजत थी। उसे भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था क्योंकि वो अपने पति के परिवार की दहेज की मांग को हर बार पूरा करने में असमर्थ थी। वो अपने पति से बात नहीं कर पाती थी क्यों कि वो उम्र में उससे बहुत बड़ा था। उसके बार-बार मांगने पर भी उसका पति उसे पैसे नहीं देता था। वो अपने लापरवाह पति की मांग पर उसके साथ यौन संबंध बनाने में खुद को काफी असहज महसूस करती थी।

राधा चुप रहती थी और उसने अपने माता-पिता को तब तक अपने संघर्ष की बात नहीं बताई जब उसे पता चला कि उसके पति के अपने दफ्तर में अपनी किसी साथी महिला से भी संबंध हैं।

समूह में इन प्रश्नों पर चर्चा करें:

1. इस कहानी में किन अधिकारों का हनन हो रहा है और कैसे?
2. इस तरह अधिकारों के हनन का लड़की पर क्या प्रभाव पड़ा?

Please photocopy and cut the grey line

संलग्नक **5**

बाल विवाह में घरेलू हिंसा से निपटना

नीचे दी गई कहानी को पढ़ें और अपने समूह में चर्चा करने के बाद उसके नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दें:

35 साल की नीना अपने पति और सास-ससुर के साथ गांव में रहती है। वह आठ साल पहले विवाह करके इस परिवार में आई थी और तभी से वह अकेली उस पूरे परिवार के कामकाज को संभाल रही है। उसका पति प्रसाद अपने पिता के साथ मिलकर एक दुकान चलाता है और उसकी मां दिनभर घर पर ही रहती है। शादी के पहले दिन से ही प्रसाद ने नीना को न तो कोई खास इज्जत दी और ना ही उसकी कोई परवाह की। पिछले कुछ दिनों से वह नीना पर बात-बात में गुस्सा करने लगा और छोटी-छोटी बातों पर नीना को पीटता था जैसे खाना ठीक से गर्म नहीं किया, नीना पड़ोसी से बात क्यों कर रही है, कपडे सही ढंग से प्रेस नहीं किए। अगर नीना उसका विरोध करती या मामले को कारण जानने के लिए बहस करती तो वह और बेहरमी से पीटता था।

प्रसाद की नीना को रोज-रोज पीटने की इस आदत का उनके सात साल के लड़के राघव पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। आगे चलकर वह चुप-चुप और अलग-थलग रहने लगा तथा उसका आत्मविश्वास भी काफी गिर गया। उसे सोते समय बुरे-बुरे सपने आने लगे और वह अपने साथियों तथा परिवार के सदस्यों के प्रति आक्रामक आचरण करने लगा।

प्रसाद की मारपीट दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और नीना को समझ नहीं आ रहा था कि वो इससे खुद को और अपने बच्चे को कैसे बचाएं। उसे लगता है कि उसके सास-ससुर इस हिंसा के बारे में जानते हैं और अपने बेटे का आंख मूंदकर समर्थन कर रहे हैं। वह इस बारे में अपने माता-पिता को भी नहीं बताना चाहती थी, जो नीना के संरक्षक के रूप में अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करके शांति से रह रहे थे। कभी-कभी नीना को अपनी पड़ोसन सीमा के साथ अपना दुख बांटना अच्छा लगता था, जिसकी हालत भी नीना जैसी ही थी।

समूह में चर्चा करने के लिए प्रश्न:

- अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए नीना क्या कर सकती है? क्यों?
- अपने पति और सास-ससुर के खिलाफ सख्त कदम उठाने से उसे कौन सी चीज रोक रही थी?
- नीना की इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है?
- प्रसाद का नीना के प्रति हिंसक बर्ताव उनके सात साल के बेटे पर बुरा प्रभाव क्यों डाल रहा है?
- क्या आपको लगता है कि नीना के खिलाफ हिंसा उचित है? क्या ऐसी कोई स्थिति हो सकती है, जिसमें घरेलू हिंसा को उचित ठहराया जा सकता है? कारण बताइये।
- क्या नीना के सास-ससुर घर में हो रही हिंसा का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं? क्या आप अपने पड़ोस या अपने परिवार में इसी तरह की घटनाओं के बारे में जानते हैं?
- आप नीना और उसके माता-पिता को क्या सलाह देना चाहेंगे?

Please photocopy and cut the grey line

घरेलू हिंसा क्या है?

सामाजिक लिंग आधारित कोई ऐसा कृत्य जिसके परिणामस्वरूप महिला को शारीरिक, यौन संबंधी या मनोवैज्ञानिक नुकसान या पीड़ा सहनी पड़े या ऐसी संभावना हों, जिनमें ऐसे कृत्यों की धमकी, आजादी से वंचित करना शामिल है चाहे सार्वजनिक जीवन में हो या निजी जीवन में। घरेलू हिंसा में शामिल है:

- शारीरिक हिंसा
- वैवाहिक बलात्कार
- मनोवैज्ञानिक तनाव
- भावनात्माक हिंसा
- आर्थिक अभाव - खर्चे के लिए पैसे देने से मना करना
- दहेज - संबंधी उत्पीड़न

वे कौन से भारतीय कानून है जो घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं?

PWDVA या घरेलू हिंसा के प्रति महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 उन सभी महिलाओं को सुरक्षा कवच प्रदान करता है जो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। यह एक नागरिक कानून है और इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं की जाती है। मां, बेटियां, बहनें, पत्नियां, लिव-इन पार्टनर और आश्रित बच्चे कानून का सहारा ले सकते हैं। महिला की ओर से कोई भी व्यक्ति निम्न में से किसी के भी पास घरेलू हिंसा की रिपोर्ट कर सकता है:

- जिला स्तर पर तैनात संरक्षण अधिकारी
- आपके क्षेत्र में कार्यरत सेवा प्रदाता या पंजीकृत एनजीओ
- मजिस्ट्रेट
- वकील
- पुलिस

मामले की पहली सुनवाई शिकायत दर्ज करने के तीन दिनों के भीतर करनी होती है और अंतिम सुनवाई शिकायत दर्ज कराने के 60 से 90 दिनों के अंदर की जानी चाहिए, जिसमें असफल रहने पर संरक्षण अधिकारी को जुमार्ना खंड के तहत दंडित किया जा सकता है। PWDVA में पीड़ित महिलाओं के लिए प्रावधान किया गया है, यह प्रावधान निशुल्क चिकित्सा सहायता, सुरक्षित आवास और शोषण करने वाले साथी से सुरक्षा, बच्चों की कस्टडी, आर्थिक मुआवजा और रखरखाव एवं निशुल्क कानूनी सलाह प्राप्त करने में उनकी मदद करता है।

इसके अलावा, आप महिलाओं के लिए शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी टॉल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1091 पर भी कॉल कर सकते हें या ऐसे मामलों पर काम करने वाले अपने क्षेत्र के पंजीकृत एनजीओ को सूचित कर सकते हैं।

(यह भी नोट करें: भारतीय दंड संहिता की धारा 498A- भारतीय दंड संहिता घरेलू हिंसा के मामलों में आपराधिक शिकायत का प्रावधान करती है)

संलग्नक **6**

समाज में महिलाओं का योगदान

16 साल की तब्बू गांव में तीन भाई और बहनों के एक बड़े से परिवार में रहती है। उसने एक नुक्कड़ नाटक कलाकार के रूप में स्थानीय एनजीओ में शामिल होने का फैसला किया जो बाल विवाह के खिलाफ काम करता है। उसने मुख्य किरदार की भूमिका निभाई जो बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाती है। तब्बू अपनी भूमिका को लेकर काफी आश्वस्त थी और उसने बाल विवाह को रोकने के लिए संभावित समाधान तलाशने के लिए दर्शकों को प्रभावी ढंग से सोचने पर मजबूर कर दिया।

उसने अपने ये अनुभव अपने परिवार के साथ भी बांटें और वो नाटक का यह संदेश देने में सफल रही कि कम उम्र में शादी करने से युवा लड़की की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर वह अपने माता-पिता को अपनी दो बड़ी बहनों की शादी देर से करने के लिए मनाने में कामयाब रही, जिनकी शादी पहले की तय कर दी गई थी उसके समझाने पर माता-पिता ने उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने और आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े होने के लिए व्यावसायिक कोर्स करने की भी अनुमति दे दी ।

तब्बू के भीतर के आत्मविश्वास, दृढनिश्चय ने समस्या के बारे में बात करने, उनके साथ के सभी के लिए बेहतर जिंदगी के लिए संभावित समाधानों पर चर्चा करने में सहायता की। यह भी उल्लेखनीय है कि यह युवा लड़की कई पुरानी प्रथाओं पर बात करने में समर्थ हुई और अपने परिवार की दकियानूसी सोच में बदलाव लाने में सफल रही। यहां पर यह बताना भी प्रासंगिक होगा कि हालांकि बाल विवाह के लिए गरीबी को दोष दिया जाता है, यह भी सच है कि इसके परिणामों की जानकारी के अभाव में लड़की की शादी जल्दी कर दी जाती है।

अपने समूह में निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करें:

1. इस कहानी में महिला को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्या समाज ने उनकी सफलता से पहले उनको महत्व दिया?

2. महिलाओं की वो कौन सी खूबियां हैं जो चुनौतियों से निपटने और समाज में अपनी स्थिति को बेहतर बनाने पर फोकस करने पर मदद करती हैं?

Please photocopy and cut the grey line

Please photocopy and cut the grey line

मैरी कॉम का जन्म मणिपुर के कंगाठी गांव के एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ था। स्कूल जाने के साथ-साथ वह अपने छोटे भाई/बहन की देखभाल भी करती थी और इसके साथ हॉकी, फुटबॉल और एथलीट (मगर बॉक्सिंग नहीं) जैसे सारे खेल खेलती थी। मैरी कॉम खेतों में काम करके अपने किसान माता-पिता की मदद भी करती थी। 1998 में आयोजित एशियाई खेल के स्वर्ण पदक विजेता बॉक्सर मणिपुर के डिंको सिंह से प्रेरित होकर मैरी कॉम ने एथलेटिक्स में प्रशिक्षण लेने के लिए मणिपुर की राजधानी इंफाल का रुख किया। फटे और गंदे कपड़ों में मैरी कॉम भारतीय खेल प्राधिकरण के कोच के कोसाना मिताई के पास गई और उनसे एक मौका देने की गुजारिश की। कोच को याद है कि जब सब लोग सोने चले जाते थे तो वह देर रात तक अभ्यास करती रहती थी। मैरी कॉम का एक ही लक्ष्य था: अपने परिवार को गरीबी की खाई से बाहर निकालना और अपना नाम चमकाना।

मैरी कॉम पांच बार की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है और वो एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्होंने छह वर्ल्ड चैंपियनशिप में से प्रत्येक में पदक जीता है। वो एकमात्र भारतीय महिला बॉक्सर है जिन्होंने 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया और देश के लिए कांस्य् पदक जीता। उन्हें AIBA वर्ल्ड वुमैन रैंकिंग फ्लाईवेट कैटेगरी में चौथी रैंकिंग दी गई है। उन्होंने अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला और अपनी सफलता पर कभी घमंड नहीं किया, 30 साल की मैरी शादीशुदा हैं और उनके जुड़वा बेटे हैं । वे 2007 से कम सुविधा प्राप्त बच्चों को निशुल्क बॉक्सिंग सिखा रही हैं।

अपने समूह में निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करें:

1. इस कहानी में महिला को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्या समाज ने उनकी सफलता से पहले उनको महत्व दिया?

2. महिला की वो कौन सी खूबियां हैं जो चुनौतियों से निपटने और समाज में अपनी स्थिति को बेहतर बनाने पर फोकस करने पर मदद करती हैं?

शालू के पति की मृत्यु जल्दी हो गई थी, और वे पीछे उस पर दो बेटियों और एक बेटे को पालने की जिम्मेदारी छोड़ गए। शालू ने कई घरों में खाना बनाने का काम शुरू किया मगर इससे उससे पर्याप्त आय प्राप्त नहीं होती थी।

उसने कोई दूसरा लाभप्रद विकल्प तलाशने का फैसला किया और उसकी दिलचस्पी पेशेवर ड्राइवर बनने में पैदा हो गई। कुछेक ही महीनों ने उसने स्थानीय एनजीओ द्वारा संचालित निशुल्क ड्राइविंग कक्षा ज्वाइन कर ली और पेशेवर ड्राइविंग सीख ली। वो दो काम एक साथ कर रही थी पैसे कमाने के लिए कुक का काम कर रही थी और साथ-साथ ड्राइविंग भी सीख रही थी। ड्राइविंग के साथ-साथ उसने आत्म रक्षा, हिंदी, अंग्रेजी बोलना, संवाद कौशल, महिलाओं के अधिकार और यौन स्वास्थ्य के बारे में सीखा।

आज शालू के पास पक्का, ड्राइविंग लाइसेंस है और नजदीक के स्कूल में अच्छे वेतन वाली नौकरी भी है। उसे नई जगहों पर जाना अत्यंत सम्मानजनक और आजादी भरा लगता है। उसे अपने पेशे पर गर्व है और वो अपने वाहन की देखभाल अपने परिवार के सदस्य की तरह करती है। उसका पूरा समुदाय उसे बडे विस्मय से देखता है। अब वो अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर सकती है।

अपने समूह में निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करें:

1. इस कहानी में महिला को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्या समाज ने उसकी सफलता से पहले उसको महत्व दिया?
2. महिला की वो कौन सी खूबियां हैं जो चुनौतियों से निपटने और समाज में अपनी स्थिति को बेहतर बनाने पर फोकस करने पर मदद करती हैं?

Please photocopy and cut the grey line

Please photocopy and cut the grey line

संलग्नक **7**

महिलाओं की घटती संख्या और बाल विवाह पर इसका प्रभाव

केस स्टडी 1 : सुजाता की कहानी

उन्नीस साल की सुजाता शादीशुदा है और अपने प्रिय पति और सास-ससुर के साथ रहती है। उसका पति नजदीक की एक दुकान पर काम करता है और सुजाता घर का सारा काम करने के अलावा अपने बूढ़े सास-ससुर की भी देखरेख करती है। उसका पति और सास-ससुर जब से उसकी शादी हुई तब से ही उससे बच्चे की मांग कर रहे हैं।

बहुत जल्दी ही सुजाता गर्भवती हो जाती है। अब वह तीन माह के पेट से है और उसके सास-ससुर उस पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अल्ट्रासाउंड कराए और पता लगाए कि गर्भ में पल रहा शिशु कन्या है या लड़का। सुजाता हैरान है कि अगर शिशु लड़की है तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? वो चिंता में पड़ जाती है और नहीं जानती की अपनी ये परेशानी वो किसे बताएं-अपने पति को या अपने माता-पिता को?

अपने समूह में निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करें और उत्तर प्रस्तुत करें:

1. आपकी राय में सुजाता के सास-ससुर उसका अल्ट्रासाउंड क्यों कराना चाहते थे?
2. आपकी राय में सुजाता को क्या करना चाहिए? क्या उसे अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए?
3. अगर भ्रूण लड़की का निकलता है तो सुजाता के लिए इसके सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिणाम क्या? होंगे?
4. इस स्थिति में सुजाता के पति को क्या निर्णय लेना चाहिए?

केस स्टडी 2 : पियासो की कहानी

पियासो नामकुम ब्लाक में हेसापिडि गांव के बुद्धा महतो और ज्वाला देवी की 12 साल की लड़की है। पियासो अनपढ़ है और वो कभी स्कूल नहीं गई।

हेसापिडि गांव में यौवन की पहली दहलीज पर कदम रखते ही लडकी का विवाह करने का आम रिवाज है और यह रिवाज धडल्ले से चल रहा है क्योंकि इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है। हाल ही में यह गांव उस समय बालिका वधु के स्रोत के रूप में सुर्खियों में आया जहां की छोटी लड़कियां हरियाणा (भारत का एक राज्य जिसमें सामाजिक लिंग अनुपात सबसे कम है) में ब्याही जा रही थी और हरियाणा में बालिका वधु की तस्करी की दर भी सबसे अधिक है। बताया गया है कि हरियाणा के गांवों के बहुत से बूढ़े पुरुष शादी की रस्म के खर्च के लिए अग्रिम रकम का भुगतान करके अपनी पसंद की लड़की ढूंढने इस गांव में आते हैं। इस तरह के भयानक परिदृश्य में 12 साल की पियासो की शादी नवंबर, 13 में हरियाणा के एक 38 साल के आदमी के साथ तय कर दी जाती है और बदले में उसके माता-पिता को 50000 रु. दिए जाते हैं। अनपढ़ और बच्ची होने के कारण इस बात को अच्छी तरह से समझने में असमर्थ थी कि प्रस्तावित विवाह गुलामी का एक रूप है।

पियासो की होने वाली शादी की गांव में घोषणा की जाती है, इसके बारे में महिलाओं का एक स्वंय सहायता समूह भी सुन लेता है जो बाल विवाह के खिलाफ काम करने वाले एक स्थानीय एनजीओ से प्रशिक्षण ले चुका था। स्वयं सहायता समूह ने पियासो की इस गैरकानूनी विवाह के खिलाफ कार्रवाई करने और इसे रोकने का फैसला किया। उन्होंने पंचायत के मुखिया श्री रमेश सिंह मुंडा की सहायता से इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और मीडिया को दी। जल्दीं ही अपराधी को धर दबोचा गया और उसके खिलाफ बालिका तस्करी के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

बाल विवाह के नकरात्मक परिणामों के बार में जानकारी और जागरूकता बढ़ने से ग्रामीणों (मुखिया, स्वयं सहायता समूह की सदस्य, पुलिस आदि) के नजरिये में बदलाव लाने में मदद मिली। इस गांव में बाल विवाह को रोकने की यह पहली कार्रवाई थी। इससे दूसरे समुदाय के सामने एक मिसाल पेश हुई कि जब वे भी अपने गांव या आसपास ऐसी कोई घटना होते हुए देखें तो तुरंत कार्रवाई करें।

इन प्रश्नों की अपने समूह में चर्चा करें और उत्तर प्रस्तुत करें:

1. पियासो जैसी युवा लड़कियों को हरियाणा से पुरुषों को क्यों ब्याही जा रही थी?
2. हितधारकों ने बाल विवाह को रोकने के लिए क्या कदम उठाए?

संलग्नक **8**

सहभागियों द्वारा शपथ-ग्रहण

शपथ लेना

(बाल विवाह, सामाजिक लिंग-पक्षपातपूर्ण लिंग चयन, दहेज और महिलाओं एवं लड़कियों के खिलाफ उत्पीड़न/हिंसा को समाप्ति करने के लिए)

मैं, भारत की नागरिक शपथ लेता/लेती हूं कि:

मैं शादी के लिए कानून द्वारा निर्धारित उम्र पूरी करने के बाद ही शादी करुंगा/करुंगी, जो लडकों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है।

मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति/महिला के विवाह में शामिल नहीं हुंगा/हुंगी जिसकी उम्र विवाह के लिए निर्धारित उम्र से कम है। मैं अपने माता-पिता, रिश्तेदारों और समुदाय को भी ऐसा नहीं करने के लिए कहूँगा/कहूँगी।

मैं अपने दोस्तों/सहेलियों को अपनी इस तरह की शादी का विरोध करने के लिए कहूँगा/कहूँगी और इस संबंध में उनके परिवारों को मनाने में उनकी सहायता करुंगा/करुंगी।

मैं एक लड़की के अधिकारों के लिए बातचीत और काम करुंगा/करुंगी और दूसरी लड़कियों के लिए बेहतर शिक्षा, पोषण, सुरक्षा और संपत्ति या विरासत में समान हिस्सेदारी के लिए उनका समर्थन करुंगा/करुंगी।

मैं न दहेज लुंगा/लुंगी और न दूंगा/दूंगी।

मैं सभी बच्चों को हिंसा और उत्पीड़न-शारीरिक, मानसिक या किसी अन्य तरह की उपेक्षा से बचाने के लिए अपनी सत्ता के अनुसार हर संभव प्रयास करुंगा/करुंगी।

मैं अपने सहपाठियों के लिए माध्यमिक शिक्षा के पूरा होने को बढ़ावा दूंगा।

टिप्पणी

टिप्पणी

टिप्पणी

breakthrough
human rights start with you

E-1A, First Floor, Kailash Colony, New Delhi 110 048, India
☎ 91-11-41666101 Fax: 91-11-41666107

✉ contact@breakthrough.tv

www.inbreakthrough.tv
f /BreakthroughIN
@INBreakthrough

unicef
unite for children

73 Lodi Estate, New Delhi 110 003, India
☎ 91-11-24690401 Fax: 91-11-24627521

✉ newdelhi@unicef.org

www.unicef.in
f /unicefindia
@UNICEFIndia